भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी
कोलकाता - 700 087

उनचासवीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

			पेज
1.	बोर्ड के निदेशकगण एवं लेखापरीक्षा समिति	...	2
2.	सूचना	...	3
3.	अध्यक्ष की कलम से	...	4
4.	निदेशकों का रिपोर्ट	...	9
5.	पांच वर्षो की रूपरेखा	...	41
6.	क्षेत्रीय कार्यालय	...	43
7.	लेखापरीक्षक का रिपोर्ट	...	44
8.	लेखा पर सीएजी की टिप्पणियां	...	57
9.	तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता के आभिन्न अंग की लेखा टिप्पणियां	...	58
10.	व्यापार का लेखा :		
	(i) अन्तर्देशीय कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	...	85
	(ii) अन्तर्देशीय कच्चा जूट - वाणिज्यिक	...	86
	(iii) जूट बीज	...	87
	(iv) विविध जूट उत्पाद (सोनाली)	...	88

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

बोर्ड के निदेशकगण

1.	श्री ए. के. जॉली	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2019)
2.	श्री संजय शरण	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019)
3.	सुश्री शेरी लालथांगजो	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019)
4.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018)
5.	श्रीमती पूजा विधानी	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020)

लेखापरीक्षा समिति

1.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018), अध्यक्ष
2.	श्रीमती पूजा विधानी	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020), सदस्य
3.	श्री संजय शरण	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019), सदस्य
4.	सुश्री शेरी लालथांगजो	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019), सदस्य
5.	श्री ए. के. जॉली	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य

सीएसआर समिति

1.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018), अध्यक्ष
2.	श्रीमती पूजा विधानी	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020), सदस्य
3.	सुश्री शेरी लालथांगजो	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019), सदस्य
4.	श्री ए. के. जॉली	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य

श्री ए. साहा	:	कंपनी सचिव (03.08.2016)
लेखापरीक्षक	:	मेसर्स एच.एस. भट्टाचार्जी एंड कं., सनदी लेखाकार, कमलालय सेंटर, कमरा सं.316, 3रा तल, 156ए, लेनिन सरणी, कोलकाता-700 013, पश्चिम बंगाल
पंजीकृत कार्यालय	:	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087 वेबसाइट : www.jutecorp.in, ई-मेल : jci@jcimail.in

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

सं.भापनि/49वीं एजीएम/सचिवालय/2020-21 दिनांक : 14.12.2020

49वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की उनचासवीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य संपादित करने के लिए इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087 में मंगलवार, 15 दिसंबर, 2020 को पूर्वाहन 11.00 बजे से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होगी:

सामान्य कारोबार:

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों के प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उसे पारित करना।
2. सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति को नोट करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

"प्रस्तावित

कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 139 के अनुसार मेसर्स एस.के. मल्लिक एण्ड कं., सनदी लेखाकार को वर्ष 2020-21 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत इस निगम के बोर्ड के निदेशकगण को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक, आनुषंगिक खर्च, सांविधिक कर एवं अन्य संबंधित खर्च तय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है एवं एतद्वारा किया जाता है"।

3. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 92.40 रु. का लाभांश घोषित करना।

बोर्ड के निदेशकगण के आदेशानुसार

(अभिक साहा)

कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

टिप्पणी:

सदस्य जो उनचासवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित एवं वोट देने के हकदार हैं वे अपने तरफ से परोक्षी को उपस्थित एवं वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं (धारा 105)। परोक्षी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का एक रिक्त फार्म संलग्न है, यदि इसका उपयोग होता है तो निगम को वार्षिक साधारण सभा प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले इसे विधिवत् भरकर वापस किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

यह वास्तव में मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकगण की ओर से निगम की 49वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं।

मैं आप सभी लोगों को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिनके अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहने के बावजूद समय निकालकर निगम की 49वीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित हुए।

मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन के मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं:

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निगम ने कर के उपरांत 1539.55 लाख रुपये का लाभ किया है। यह कर के उपरांत विगत वर्ष के लाभ में वृद्धि है। इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारण विगत वर्ष के वस्तुसूची का निपटान एवं उत्पाद मिश्रण में बदलाव है।

बाजार का परिदृष्य

2018-2019 से लाये गये 18.40 लाख गांठ जूट से जूट उद्योग के लिए फसल वर्ष 2019-20 का प्रारंभ हुआ। जूट सलाहकार बोर्ड (जेएबी) द्वारा फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 79 लाख गांठ (180 कि.ग्रा. प्रति क्विं.) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार के घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 250 रुपये (रु.3700 - रु.3950) की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2018-19 के वास्तविक उत्पादन 72 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन पूर्वानुमान से कम रहा एवं 68 लाख गांठ रहा। बंग्लादेश से 4.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 69 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 54 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। इसलिए 26.40 लाख जूट गांठ अधिशेष रहा। ज्यादातर मौसम के दौरान फसल का मूल्य एमएसपी से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप एमएसपी के अंतर्गत छिटपुट खरीद हुई। जूट सलाहकार बोर्ड ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए फसल का पूर्वानुमान लगभग 72 लाख गांठ लगाया। हालांकि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जैसे पश्चिम बंगाल में विनाशकारी तूफान "अम्फान" और असम, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ की स्थिति जैसी अत्यधिक बारिश को ध्यान में रखते हुए यह देखा जाना शेष है कि क्या इतना उत्पादन वास्तव में हुआ है या नहीं। इन सभी से ऊपर कोविद-19 महामारी के फैलाव का प्रभाव समग्र जूट अर्थव्यवस्था पर पड़ा एवं कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति के परिदृश्य में भी इसके प्रभाव पड़ने की आशंका है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने टीडीएन-3 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2019-20 के लिए 3950 रुपये प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2018-19 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 250 रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी के आधार पर कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 1,49,523 क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।

2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के समझौता ज्ञापन के लिए निगम की श्रेणी का अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। समझौता ज्ञापन 2019-20 का स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के पास जमा किया गया है एवं उसकी श्रेणी का अभी इंतजार है और हम समझौता ज्ञापन 2019-20 के लिए "बहुत अच्छा" श्रेणी की आशा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के समझौता ज्ञापन के लक्ष्य को प्राप्त करने में निगम का कार्य-निष्पादन उल्लेखनीय रहा।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

चूंकि निगम विगत कई वर्षों से लगातार लाभ कर रहा है इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में अनिवार्य रूप से सीएसआर क्रिया-कलाप करना पड़ता है। अपने सीएसआर की पहल के अंतर्गत अपनाये जाने वाले क्रिया-कलापों की पहचान करते वक्त मौजूदा सीएसआर नीति को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा समय-समय पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (सार्वजनिक उपक्रम विभाग) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के दिशानिर्देशों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निगम ने सीएसआर समिति द्वारा चिह्नित 5 आकांक्षात्मक जिलों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधित क्रिया-कलापों के परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सीएसआर क्रिया-कलापों के अंतर्गत रकम खर्च किया है, इस संबंध में डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार जूट विविध उत्पाद (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास की परियोजनाओं के लिए भी रकम खर्च किया है। उसका विस्तृत विवरण अनुवर्ती पैरा में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने सीएसआर बजट से कैंसर होस्पिटल सहित कुछ सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों को भी दान दिया है। आपको यह बताना भी मेरे लिए गर्व की बात है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हमने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार के हाथों को मजबूत करने हेतु 'PM CARES Fund' में भी अंशदान किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर के खर्च का कुल परिव्यय रु.53.18 लाख किया गया है।

संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने टर्नकी के आधार पर व्यावसायिक पैमाने पर जूट विविध उत्पाद (जेडीपी) के उत्पादन में सहयोग करने के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) के हितों एवं उनके कौशल

का विकास करने के लिए बहुत ही अभिनव परियोजना चालू की है। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में क्रमशः **'रोसा'** एवं **'नारी'** नाम के दो संगठन का चयन करते हुए ऐसी दो परियोजनाएं चालू की गई हैं एवं प्रत्येक परियोजना का बजट 5 लाख रुपये है। दोनों संगठन 56 महिलाओं को जेडीपी बनाने का कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो उन्हें उनकी जीवन-यापन करने में मदद करेंगे एवं उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाएंगे।

निगम ने सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सीएसआर समिति द्वारा चिह्नित 5 आकांक्षात्मक जिलों में सरकारी होस्पिटलों में मां और बाल स्वास्थ्य देखभाल हेतु स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्रिया-कलाप के लिए सीएसआर परियोजनाएं लागू की है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए पांच होस्पिटलों में से प्रत्येक होस्पिटल हेतु 5 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। उपरोक्त राशि का जिलेवार उपयोग करने का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

राज्य	**जिला**	**होस्पिटल**	**उद्देश्य**
असम	धुबड़ी	धुबड़ी सिविल होस्पिटल	बिलीरुबिन मीटर - ड्रग जैन्डिक मीटर (1) एवं प्रसव घर हेतु A.C(1.5 टन) 3 स्टार इन्वर्टर और Gynae O.T+स्टेबलाइजर+फिटिंग (3)।
	बारपेटा	जिला होस्पिटल	गर्भवती महिलाओं और बच्चों के वैक्सीन के भंडारण के लिए जिला वैक्सीन स्टोर का मरम्मत एवं नवीकरण।
पश्चिम बंगाल	मालदा	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	फेटल डॉपलर्स
	मुर्शीदाबाद	अनुपनगर बीपीएचसी	मां और बाल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा हेतु मरम्मत एवं नवीकरण।
बिहार	अररिया	जिला स्वास्थ्य सोसायटी	सभी सहायक उपकरण के साथ हाइड्रोलिक लेबर बेड्स (5)।

कार्पोरेट गोवर्नेन्स

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 पर आधारित मौजूदा कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यास एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स संबंधित नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन करता है जो स्वभाविक रूप से अनिवार्य है क्योंकि निगम सीपीएसई है। कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट निदेशक के रिपोर्ट में दी गई है।

निगम अपने क्रिया-कलापों में अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यासों को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स की अवधारणा को महत्व एवं सार्थकता का नया स्तर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने निगम के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है जिनके कुशल मार्गदर्शन ने निगम को अधिक पेशेवर और अग्रगामी तरीके से अपने कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यासों को मजबूत करने में मदद की है एवं अपने निर्णय लेने में अधिक वस्तुनिष्ठता प्रदान की है।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम लगातार प्रशिक्षण एवं कार्यावर्तन के माध्यम से अपने कर्मचारियों के कौशल एवं क्षमता को निखारने का प्रयास कर रहा है। चूंकि मानव संसाधन निगम का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है इसलिए उनको पोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है और उन्हें उनकी क्षमता का प्रदर्शन करने एवं इससे भी ऊपर उठने में मदद की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सॉफ्ट एंड कम्युनिकेशन कौशल का विकास एवं इस तरह के अन्यान्य में प्रशिक्षण का संचालन किया है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य भी प्राप्त किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहा।

आगे की ओर देखना

चूंकि कंपनी के जीवन में परिवर्तन एकमात्र अविरत है इसलिए निगम बदलते समय की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल रखने के लिए अपने क्रिया-कलापों में विविधता लाने का प्रयास करता है। राजस्व सृजन के वैकल्पिक स्रोतों की निरंतर खोज में जैसाकि पहले बताया गया है कि निगम ने तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) में प्रसादम् के वितरण के लिए एल्यूमीनियम लेपित पर्यावरण हितैषी जूट बैग बेचने की परियोजना शुरू की है। परियोजना की प्रारंभिक प्रत्युत्तर उत्साहजनक रही है और निगम को उम्मीद है कि भविष्य में यह परियोजना राजस्व का एक नियमित स्रोत होगी।

इसके अलावा इष्टतम में डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हुए पैन इंडिया के आधार पर फ्रेंचाइजी नियुक्त करते हुए ई-कॉमर्स सहित जेडीपी के विपणन के लिए अन्य चैनलों का भी पता लगाया जा रहा है। उसके सुविधा के लिए जेडीपी प्रकोष्ठ को डिज़ाइन का सृजन करने के लिए युवा कार्मिकों के साथ बढ़ाया गया है।

निगम ने जियो-टेक्सटाइल्स एवं एग्रो-टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इंडियन रोड्स कांग्रेस ने अपने विनिर्देश दस्तावेज - IRC:SP126-2019 के अनुसार ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए जूट जियो-टेक्सटाइल्स स्वीकार किया है। निगम पहले ही कुछ जूट जियो-टेक्सटाइल्स के आदेशों का निष्पादन कर चुका है। साल दर साल जेडीपी के राजस्व में 350% से अधिक की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, निगम ने विशेष रूप से जूट कृषकों एवं सामान्य रूप से जूट अर्थव्यवस्था के समग्र हितों के लिए एनजेबी के जूट आई-केयर परियोजना को कार्यान्वित करने की अपनी जिम्मेदारियों को जारी रखा है। इस मद को लिखते समय निगम ने पहले ही प्रमाणित जूट बीज के व्यावसायिक वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है।

इसके अलावा, निगम का मोबाइल एप्लिकेशन जे-मैप अब संपूर्ण हो चुका है एवं यह वास्तविक समय डैटा प्रसार तथा कृषकों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रहा है।

आशा है कि ये सभी सकारात्मक कदम निगम को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे और आने वाले कई वर्षों तक जूट कृषकों के हित में काम करते रहेंगे।

अभिस्वीकृति

मैं वस्त्र मंत्रालय, जूट आयुक्त के कार्यालय, राष्ट्रीय जूट बोर्ड और अन्य सभी जूट से संबंधित निकायों के अधिकारियों को निगम के क्रिया-कलापों के लिए उनके पूर्ण समर्थन और संरक्षण हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

(ए.के. जॉली)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

निदेशकों का रिपोर्ट

वर्ष 2019-20

प्रिय शेयरधारीगण,

मैं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से आपके समक्ष निगम के कार्य-निष्पादन से संबंधित 49वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

उपरोक्त दर्शाये गये अवधि के दौरान निगम के कार्यों का मुख्य क्रिया-कलाप नीचे दर्शाये जा रहे हैं:

1. कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य

2018-2019 से लाये गये 18.40 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2019-20 प्रारंभ हुआ। जूट सलाहकार बोर्ड (जेएबी) द्वारा फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 79 लाख गांठ (प्रत्येक 180 कि.) होने का पूर्वानुमान था। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 250 रु. (रु.3700 - रु.3950) की बढ़ोत्तरी हुई जैसाकि भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। मगर वास्तविक उत्पादन पूर्वानुमान से कम हुआ एवं वर्ष 2018-19 के वास्तविक उत्पादन 72 लाख गांठ की तुलना में 68 लाख गांठ रहा। बंग्लादेश से 4.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 69 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 54 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। इसलिए 26.40 लाख जूट गांठ अधिशेष हो जायेगा। अधिकांश मौसम के दौरान फसल का मूल्य एमएसपी से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप एमएसपी के अंतर्गत छिटपुट खरीद हुई। जूट सलाहकार बोर्ड ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए फसल की संभावना का अनुमान लगभग 72 लाख गांठ लगाया। हालांकि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जैसे पश्चिम बंगाल में विनाशकारी तूफान "अम्फान" और असम, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ की स्थिति जैसी अत्यधिक बारिश को ध्यान में रखते हुए यह देखा जाना शेष है कि क्या इतना उत्पादन वास्तव में हुआ है या नहीं। इन सभी से ऊपर कोविद-19 महामारी के फैलाव का प्रभाव समग्र जूट अर्थव्यवस्था पर पड़ा एवं कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति के परिदृश्य में भी इसकी प्रभाव पड़ने की आशंका है।

2. क्रिया-कलाप की समीक्षा

2.1 न्यनतम समर्थन मूल्य का क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 के लिए (टीडी-5 के जगह) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2019-20 के लिए 3950 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2018-19 के न्यून्तम समर्थन मूल्य से 250 रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

31 मार्च, 2020 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2019-20 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
1,49,523	5624

2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

31 मार्च, 2020 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2019-20 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
31,119	1363

3. वित्तीय समीक्षा

3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 1,49,523.06 क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।

3.2 वर्ष 2019-20 के दौरान निगम का कुल कारोबार 12,786.83 लाख रु. का रहा। परिचालन परिणाम यह दर्शाता है कि कर एवं सभी बंधे खर्च, भाड़ा, बीमा, ब्याज, मूल्यह्रास और सेवानिवृत कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने का लाभ के प्रावधान प्रभार के बाद शुद्ध लाभ 1539.55 लाख रु. हुआ है। प्रस्तावित लाभांश पर विचार करने और आरक्षित एवं अधिशेष में शेष लाभ को हस्तांतरित करने के उपरांत वर्ष के अंत में तुलन-पत्र के खाते में 14,270.39 लाख रु. दर्शाया गया है।

3.3 विगत वर्ष के लाभ राशि 1159.93 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष कर के उपरांत 1539.55 लाख रु. का लाभ हुआ है।

3.4 2019-20 में कंपनी का अर्जित प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रु.) विगत वर्ष की राशि 232 रु. की तुलना में 308 रु. है।

3.5 निगम के पास प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रु. से अधिक का समुचित कच्चे जूट का कारोबार करने के लिए आधारभूत ढांचा एवं आवश्यक कार्यकारी पूंजी सीमा है।

3.6 प्रस्तावित लाभांश विगत वर्ष की राशि 348.00 लाख रु. की तुलना में 462.00 लाख रु. है।

3.7 समीक्षाधीन के अंतर्गत इस वर्ष के वित्तीय परिणाम को **परिशिष्ट** “**ए**” में दिखाया गया है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप के लिए निगम के आधारभूत ढांचा के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

जैसाकि आप जानते हैं, निगम कच्चे जूट के लिए भारत सरकार का मूल्य समर्थन एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर मुख्य रूप से जूट कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए हुई एवं जूट कृषकों व संपूर्ण जूट अर्थव्यवस्था के हितों के लिए कच्चे जूट के बाजार मूल्य को संभव सीमा तक स्थिर करने के लिए भी हुई।

मार्जिनल कृषकों को लाभ दिलाने एवं कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप का संचालन करने हेतु भापनि को उसकी आधारभूत संरचना का रख-रखाव करने के क्रम में वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे वह अपने निर्धारित बंधे खर्च का वहन कर सके। निदेशकगण ने विगत अवसर पर जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए 100 करोड़ रु. के अनुदान का अनुमोदन किया है। उपरोक्त में दर्शाये गये अनुमोदित अनुदान में से निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 7.50 करोड़ रु. एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 37.90 करोड़ रु. प्राप्त कर चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-20 से संबंधित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से आर्थिक सहायता की अनुदान राशि 46.00 करोड़ अभी भी प्राप्य है जो निगम द्वारा पहले ही खर्च की जा चुकी है।

5. समझौता ज्ञापन (एमओयू) 2019-20

समझौता ज्ञापन 2018-19 हेतु निगम के ग्रेड का अभी भी इंतजार है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) 2019-20 के अंतर्गत निगम को अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलिखित को पूरा करने की जिम्मेदारी है:

(ए) अन्य पैरामीटर

(i) विगत वर्ष की तुलना में खुले जूट से गांठ बनाने के लिए परिचालन के समय में कमी - खुले जूट से गांठ बनाने के लिए परिचालन के समय में 3 दिन की कमी हुई है (इस कार्य को पूरा करने हेतु विगत वर्ष इसके लिए 25 दिन का समय लिया था जबकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इसने 22 दिन लिया)।

(बी) एचआरएम पैरामीटर्स

डीपीई, एमओयू विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची से निरंतर प्रकृति के एचआर पैरामीटर्स की संख्या की उपलब्धि।

(i) परिपाटी योजना का अद्यतन एवं बोर्ड के निदेशकगण द्वारा इसकी स्वीकृति - **प्राप्त कर चुका है।**

(ii) भारत अर्थात् IITs, IIMs, NITs, ICAI आदि के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कम-से-कम 10% अधिकारी (ई-0 एवं इससे ऊपर) को कम-से-कम 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान कर टैलेंट मैनेजमेंट एवं कैरियर की प्रगति की निरंतरता - 11 अधिकारीगण जो इस निगम के अधिकारियों की कुल संख्या का 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं, को इस तरह के प्रशिक्षण दिए गए।

(iii) एफआर (56) (जे) के तर्ज पर कर्मचारी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन और वर्ष के अंत में बोर्ड के निदेशकगण के पास अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना - **प्राप्त कर चुका है।**

(iv) वेब शिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष फोकस के साथ उच्च पदों के अधिकारियों के लिए उनकी तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं के निर्माण के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम - आयोजित कार्यक्रमों की संख्या के संदर्भ में - **इस तरह के कुल 7 कार्यक्रमों** में निगम के अधिकारियों ने भाग लिया।

अन्य क्षेत्र विशिष्ट परिणाम उन्मुख मापनीय पैरामीटर्स:

(i) कुल भुगतान की प्रतिशतता के संदर्भ में 3 कार्य दिवस के अंदर कृषकों को भुगतान - प्राप्त कर चुका है।

(ii) इस वर्ष में स्टार्ट-अप को समर्थन (स्टार्ट-अप की संख्या) - समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने 2 ऐसे स्टार्ट-अप को समर्थन किया।

(iii) परिचालन से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में जूट विविध उत्पाद से राजस्व (%) - जेडीपी से अर्जित राजस्व की प्रतिशतता परिचालन से कुल राजस्व का 1.35% था।

उपरोक्त के अलावा वर्ष 2019-20 के लिए अन्य सभी एमओयू लक्ष्यों के मूल्यांकन मानदंड को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।

निदेशकों को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निगम का कार्य-निष्पादन राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों के सृजन के लिए जेडीपी व्यवसाय एवं अन्य व्यवसायों हेतु चलाए गए अभियान के कारण बेहतर होगा।

6. जूट विविध उत्पादों (जेडीपीज) के विपणन के लिए वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

जैसाकि पिछले वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, निगम ने राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों के लिए अपने निरंतर साधनों में तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) में प्रसादम् के वितरण के लिए एल्यूमीनियम लेपित पर्यावरण हितैषी जूट बैग बेचने की परियोजना प्रारंभ की है। परियोजना की प्रारंभिक प्रत्युत्तर बहुत उत्साहजनक रही है एवं निगम को उम्मीद है कि यह परियोजना भविष्य में राजस्व का एक बड़ा स्रोत होगा।

इसके अलावा पैन इंडिया के आधार पर फ्रेंचाइजी की नियुक्ति करते हुए एवं इष्टतम के लिए डिजिटल विपणन का उपयोग करते हुए ई-कॉमर्स सहित जेडीपी के विपणन के लिए विपणन के अन्य चैनलों का भी पता लगाया जा रहा है। उसके सुविधा के लिए एक नया जेडीपी अनुभाग बनाया गया है एवं डिज़ाइन पूल का सृजन करने के लिए युवा कार्मिकों को पदासीन किया गया है।

निगम ने जियो-टेक्सटाइल्स एवं एग्रो-टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इंडियन रोड्स कांग्रेस ने जूट जीटी, आईआरसी: SP126-2019 के साथ सड़क निर्माण के आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार नवंबर, 2019

में जूट जियो-टेक्सटाइल्स को स्वीकार किया है। निगम ने पहले ही कुछ जूट जीटी के आदेशों का निष्पादन कर दिया है। साल दर साल जेडीपी के राजस्व में लगभग 350% की वृद्धि हुई है।

7. सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण

देश के लाखों जूट कृषकों अधिकतम छोटे एवं मार्जिनल के हितों की रक्षा करने के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा दशकों से प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा कच्चे जूट की खरीद की जाती है जब चालू बाजार मूल्य उपरोक्त घोषित एमएसपी पर रहता है या उससे कम रहता है। सरकार ने निगम को यह एमएसपी क्रिया-कलाप करने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम देश में कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए एकमात्र नोडल एजेंसी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निगम ने विभिन्न परियोजनाओं को भी अपनाया है। निगम ने एक विक्रय केंद्र, सोनाली का स्थापना किया है जिसके माध्यम से विशेषाधिकृत महिलाओं, स्वयं सहायता समुहों एवं ग्रामीण कारीगरों जो दूसरे जगह अपने उत्पादों को नहीं दिखा पाते हैं, के जूट आधारित हस्तकला को प्रोत्साहित व विक्रय किया जाता है। निगम ने प्रमाणित जूट बीज के वितरण में भी पहल किया है। इसके अलावा निगम ने आई-केयर (जूट : बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) परियोजना को भी अपनाया है जिसका कार्य-निष्पादन एनजेबी के तत्वाधान में किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य कच्चे जूट के उत्पादन के लागत को कम करना है जबकि बेहतर मूल्य की प्राप्ति एवं मूल्य संवर्धन के लिए उत्पादकता व फाइबर की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परियोजना में शामिल उन्नत कृषि पद्धतियां हैं - बीज ड्रील का उपयोग करते हुए लाइन बुवाई करना, उसमें शामिल श्रम लागत को कम करने के लिए हैंड वीडिंग के बजाय नेल वीडर एवं साइकिल वीडर द्वारा जूट फसल में व्यापक प्रबंधन करना एवं गुणवत्ता वाले प्रमाणित जूट बीजों का वितरण करना।

इस परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत जूट कृषकों को निम्नलिखित सहयोग का विस्तार किया गया है:

i) बहुत अधिक अंकुरण दर एवं उत्पादकता वाले 100% प्रमाणित जूट बीज उपलब्ध करना।

ii) बीज ड्रील, नैल वीडर/साइकिल वीडर का उपयोग करते हुए यांत्रिक हस्तक्षेप के साथ कृषकों के खेतों में अपनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती प्रथा का प्रदर्शन।

iii) रेशे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्राइजाफ सोना, एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम (नि:शुल्क) का उपयोग करते हुए माइक्रोबियल रेटिंग का प्रदर्शन/वितरण।

इस परियोजना के अंतर्गत 2015 से प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध ढंग से क्रिया-कलाप किये जा रहे थे।

8. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(ए) उद्योग ढांचा और विकास

भापनि द्वारा शासित एमएसपी दरों का प्रावधान कच्चे जूट के बाजार एवं जूट उद्योग का मुख्य आधार है। कीमतों में गिरावट के मामूली संकेत आने पर कृषकों को एमएसपी का सहायता प्रदान करने में भापनि

सक्रिय कार्रवाई करता है। फसल वर्ष 2019-20 में कच्चे जूट का बाजार मूल्य वर्ष के अधिकांश समय में एमएसपी से अधिक रहा। जिसके परिणामस्वरूप निगम एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 1.50 लाख क्विंटल कच्चे जूट की खरीद कर सकता। इसके साथ ही निगम ने कुछ नुकसान सहन करते हुए बिमली के बचे हुए स्टॉक को सफलतापूर्वक निपटाने का भी प्रयास किया। कम मात्रा में व्यावसायिक खरीद भी की गई। कच्चे जूट की बिक्री की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

(बी) सुअवसर एवं खतरा/जोखिम व इससे संबंधित

सुअवसर

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा करने से जूट कैरी बैग का प्रसार करने के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है।

- तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी): निगम ने लड्डू प्रसादम् के लिए जूट कैरी बैग की बिक्री हेतु स्टाल लगाया है। उसकी दैनिक बिक्री के आंकड़े बहुत उत्साहजनक हैं एवं निगम की इस पहल से टीटीडी परिसर में प्लास्टिक के उपयोग को वास्तव में कम करने की उम्मीद है।

- जियो टेक्सटाइल्स के लिए उभरती जरुरत है और भापनि ने 2 लाख वर्ग मीटर जूट की कुल आवश्यकताओं के पर्याप्त हिस्से की आपूर्ति पहले ही कर चुका है।

- पारंपरिक एमएसपी क्रिया-कलाप को बढ़ाने के लिए भापनि ने अपनी ओर से खरीद करने के लिए सरकारी समितियों को काम पर लगा रहा है जिससे परिमाण एवं कुल कारोबार दोनों ही बढ़ रहे हैं।

- जेडीपी का वितरण एवं कच्चे जूट के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप निगम के लिए व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में उभरे हैं।

जोखिम एवं संबंधित/खतरा

- जबकि शासनादेश के अनुसार भापनि एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत सभी प्रकार के कच्चे जूट की खरीद करने के लिए बाध्य है जिसमें निम्न श्रेणी शामिल है, लेकिन इसका निपटान करते समय मिलें इस बहाने निम्न श्रेणी के जूट को लेने के लिए अनिच्छुक हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुसार इसका उपयोग बी.ट्वील बैग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

- सेवानिवृत्ति के कारण प्रशिक्षित कार्मिकगण निरंतर कम होते जा रहे हैं। सभी प्रयास के बावजूद फील्ड स्तर पर भर्ती अभी तक सफल नहीं हुई है। डीपीसी का प्रचालन करना एक प्रमुख मुद्दा है।

- मौजूदा गोदाम भाड़ा बहुत कम हैं और मालिकगण अधिक भाड़ा की मांग कर रहे हैं या अपने परिसर को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में गोदाम को बनाए रखना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मालिकगण किराए के लिए चालू बाजार की दरों की मांग कर रहे हैं।

(सी) दृष्टिकोण

निगम ने कृषकों द्वारा एमएसपी पर प्रस्तावित होने वाले सभी कच्चे जूट की खरीद एवं भंडारण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। निगम आने वाले वर्षों में अपने समग्र कार्य-निष्पादन को उन्नत करने के लिए सभी तरह के प्रयास निरंतर करता रहेगा।

निगम आत्मनिर्भरता के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के तरीके और साधन भी तलाशेगा।

(डी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगम ने दक्ष संसाधन, लागत नियंत्रण, सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और वित्तीय रिपोर्ट की विश्वासनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और व्यापक विकास किया है। लेखापरीक्षा समिति निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय कार्य-निष्पादन का समीक्षा करती है एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव देती है।

(ई) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

- विगत वर्ष के दौरान 6678.85 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 5624.09 लाख रु. का रहा।

- विगत वर्ष के दौरान शून्य की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 1363.89 लाख रु. का रहा।

- विगत वर्ष के दौरान 15609.65 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 8548.20 लाख रु. का रहा।

- विगत वर्ष के दौरान 2526.47 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 3624.85 लाख रु. का रहा।

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम का लाभ (कर से पहले) 77.65 लाख रु. बढ़ गया (2018-19 में 2051.39 लाख रु. से 2019-20 में 2129.03 लाख रु.)। यह मुख्यत: विगत वर्ष के वस्तुसूची के निपटान एवं उत्पाद मिश्रण में बदलाव के कारण है।

(एफ) मानवीय श्रोत एवं औद्योगिक संबंध

निगम ने अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके वर्तमान कार्य में उन्हें अधिक संसाधन युक्त बनाने के साथ-साथ भविष्य में भूमिका हेतु उन्हें तैयार करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यवर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है। इस संबंध में निगम ने "गैर-वित्त हेतु वित्त", सॉफ्ट स्किल्स, पेंशन एवं सेवानिवृत लाभ, एससी/एसटी रजिस्टर के रख-रखाव के क्षेत्रों में अपने 14 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहा।

(जी) सतर्कता विवरण

रिपोर्ट के इस भाग में दी गई विवरण मानी हुई बात एवं आगे की घटनाओं की उम्मीद पर आधारित है। फिर भी वास्तविक परिणाम दर्शाये अथवा कार्यान्वित किये गये से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो भिन्न बना सकता है जिसमें सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी विनियम में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंध का माहौल एवं अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी शामिल है।

9. कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम एक लाभकारी संगठन होने के नाते वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है।

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में डा. एस.के. पांडा, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक और इसके सदस्य के रूप में श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, सुश्री शेरी लालथांगजो, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय एवं श्री अजय कुमार जॉली, सीएमडी, भापनि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 40.59 लाख रु. की राशि खर्च करना था। इसके अतिरिक्त 19.59 लाख रु. भी था जिसे विगत वर्ष के अव्ययित सीएसआर बजट से लागया गया है। इस बजट में (40.59 लाख रु. + 19.59 लाख रु.) निगम ने निम्नलिखित क्रिया-कलाप किये हैं:

क्र.सं.	क्रिया-कलाप	राशि (रु. लाख में)
1.	सीएसआर से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार सीएसआर समिति द्वारा चिह्नीत 05 आकांक्षात्मक जिलों में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्रिया-कलाप के लिए सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन (5 जिला जिसमें से प्रत्येक जिला को ५ लाख रु. के हिसाब से)।	25.00
2.	जूट विविध उत्पाद (जेडीपी) के उपत्पादन में कौशल विकास हेतु परियोजनाएं (2 संगठन जिसमें से प्रत्येक को 5 लाख रु. के हिसाब से)	3.00*
3.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान	2.00
4.	पुस्तकालय भवन और परिधीय निर्माण के लिए "सैदन यूथ क्लब", मणिपुर को अंशदान	2.00
5.	"सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसजीसीसी एंड आरआई)", ठाकुरपुकुर, कोलकाता को कैंसर रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक "बीपप और सिरिंज पंप्स" हेतु अंशदान	2.50
6.	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	18.68
	कुल	**53.18**

- "रोसा" एवं "नारी" के नाम से दो संगठनों को संबंधित परियोजना के लिए चयन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना को लागू करने के लिए पहली किस्त के रूप में दोनों संगठनों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिये गये हैं। अनुवर्ती कार्य पूर्ण होने पर उपरोक्त नाम के दोनों संगठनों में से प्रत्येक को बचे शेष राशि 3.5 लाख रु. दी जाएगी।

संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने टर्नकी के आधार पर व्यावसायिक पैमाने पर जूट विविध उत्पाद (जेडीपी) के उत्पादन में सहयोग करने के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) के हितों एवं उनके कौशल का विकास करने के लिए बहुत ही अभिनव परियोजना चालू की है। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में क्रमशः **'रोसा'** एवं **'नारी'** नाम के दो संगठन का चयन करते हुए ऐसी दो परियोजनाएं चालू की गई हैं एवं प्रत्येक परियोजना का बजट 5 लाख रुपये है। दोनों संगठन 56 महिलाओं को जेडीपी बनाने का कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो उन्हें उनकी जीवन-यापन करने में मदद करेंगे एवं उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाएंगे।

निगम ने सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सीएसआर समिति द्वारा चिह्नित 5 आकांक्षात्मक जिलों में सरकारी होस्पिटलों में मां और बाल स्वास्थ्य देखभाल हेतु

स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्रिया-कलाप के लिए सीएसआर परियोजनाएं लागू की है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए पांच होस्पिटलों में से प्रत्येक होस्पिटल हेतु 5 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। उपरोक्त राशि का जिलेवार उपयोग करने का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

राज्य	जिला	होस्पिटल	उद्देश्य
असम	धुबड़ी	धुबड़ी सिविल होस्पिटल	बिलीरुबिन मीटर - ड्रग जैन्डिक मीटर (1) एवं प्रसव घर हेतु A.C (1.5 टन) 3 स्टार इन्वर्टर और Gynae O.T+स्टेबलाइजर+फिटिंग (3)।
	बारपेटा	जिला होस्पिटल	गर्भवती महिलाओं और बच्चों के वैक्सीन के भंडारण के लिए जिला वैक्सीन स्टोर का मरम्मत एवं नवीकरण।
पश्चिम बंगाल	मालदा	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	फेटल डॉपलर्स
	मुर्शीदाबाद	अनुपनगर बीपीएचसी	मां और बाल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा हेतु मरम्मत एवं नवीकरण।
बिहार	अररिया	जिला स्वास्थ्य सोसायटी	सभी सहायक उपकरण के साथ हाइड्रोलिक लेबर बेड्स (5)।

वित्तय वर्ष 2019-20 के सीएसआर क्रिया-कलापों से संबंधित विवरण **परिशिष्ट "सी"** के रुप में दिया गया है।

10. कार्पोरेट गवर्नेंस

(ए) 1971 में निगम को कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि जब कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी पर या उससे नीचे रहेगा तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर जूट कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा दी गयी निधि का उपयोग एमएसपी क्रिया-कलाप के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव करने के लिए किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस निधि का सही ढंग से उपयोग हो। निगम यह लगातार ध्यान रखता है कि राजकोष के उपयोग में सुधार करते हुए अधिकतम पारदर्शिता एवं जवाबदेही रहे।

(बी) 31.03.2020 तक बोर्ड के निदेशकगण - निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (18.12.2019)
1.	श्री अजय कुमार जॉली (डीआईएन:08427305) (01.02.2019 से)	सीएमडी	4	4	4	हां
2.	श्री संजय शरण (डीआईएन:08131112) (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	4	4	4	हां
3.	सुश्री शेरी लालथांगजो (डीआईएन:08427300) (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	4	4	4	-
4.	डा. एस.के. पांडा (डीआईएन:02586135) (09.08.2018 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4	4	-
5.	श्रीमती पूजा विधानी (डीआईएन:08863071) (19.02.2020 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	4	1	1	-
बोर्ड की बैठकों की तिथि: 25.06.2019, 09.09.2019,17.12.2019 एवं 24.03.2020						

(सी) 31.03.2020 तक लेखापरीक्षा समिति - निगम की मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कार्पोरेट अनुभव का अनुसरण करने के लिए इस अधिनियम की धारा 292ए एवं इससे संबंधित प्रासंगिक/अनुषंगिक विनियम के अनुसार 2001 में निगम के लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया। इस लेखापरीक्षा समिति में दो सदस्य हैं।

वर्तमान समिति में निम्नलिखित समाविष्ट है:

1. डा. एस.के. पांडा, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री संजय शरण, सरकारी निदेशक - सदस्य
4. सुश्री शेरी लालथांगजो, सरकारी निदेशक - सदस्य
5. श्री अजय कुमार जॉली, सीएमडी - सदस्य

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

इस समिति से संबंधित शर्तों का संक्षिप्त ब्यौरा है:

(ए) कंपनी के वित्तीय विवरणियों एवं अन्य रिपोर्टों का समय-समय पर समीक्षा करना।

(बी) मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणियों एवं रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

(i) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में कोई परिवर्तन करना।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाने पर योग्यताओं एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं का समायोजन करना।

(iii) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना।

(iv) लेखाकरण मानकों का अनुपालन करना।

(v) प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों से संबंधित तथ्य का आदान-प्रदान करना।

(vi) लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास संस्तुति करना।

(vii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन करना।

(viii) बोर्ड में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षा लागू कानून, विनियम एवं कंपनी के नीतियों के अनुसार हैं।

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(x) निगम के किसी भी कर्मचारी से सूचना लेने का प्रयास करना।

(xi) यदि आवश्यकता हुई तो बाहर से कानूनी या किसी दूसरे विशेषज्ञों की सहायता सुनिश्चित करना।

(xii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विरोधों को कम करना।

(xiii) आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम वाले प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सुनिश्चित करना।

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया अथवा बाहरी लेखापरीक्षकों को अनियमितताओं की जानकारी देने वाले कर्मचारियों एवं अन्यान्य को संरक्षण देना (पहरेदारों को संरक्षण देना)।

(xv) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं वित्तीय स्थिति व क्रिया-कलाप के परिणाम के विश्लेषण का समीक्षा करना।

(xvi) प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य-प्रणाली, रिपोर्ट करने की संरचना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल की समीक्षा करना।

(xvii)कंपनी के वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन के नीतियों की समीक्षा करना।

ऐसे अन्य विषयों का निपटारा करना जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप से इसके पास भेजा जाता है या संगठन के हित में इसे आवश्यक समझा जाता है।

(सी) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित
1.	डा. एस.के. पांडा (09.08.2018 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	3	3	3
2.	श्रीमती पूजा विधानी (19.02.2020 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	3	1	अतिथि के रूप में उपस्थित*
3.	श्री संजय शरण (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	3	3	3
4.	सुश्री शेरी लालथांगजो (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	3	3	3
5.	श्री अजय कुमार जॉली (01.02.2019 से)	सीएमडी	3	3	3
लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथि: 25.06.2019, 17.12.2019 एवं 24.03.2020					

- श्रीमती पूजा विधानी 24.03.2020 को आयोजित 73वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक में अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी क्योंकि उन्हें उपरोक्त दर्शाए गए लेखापरीक्षा समिति की बैठक के तुरंत बाद आयोजित 255वीं बोर्ड की बैठक में लेखापरीक्षा समिति में शामिल किया गया था।

(डी) साधारण निकाय की बैठकें:

क्र.सं.		2016-17 (46वीं एजीएम)	2017-18 (47वीं एजीएम)	2018-19 (48वीं एजीएम)
1.	तिथि	10.10.2017	28.09.2018	18.12.2019
2.	समय	अपराह्न 4.00 बजे	अपराह्न 1.00 बजे	पूर्वाह्न 10.00 बजे
3.	स्थान	निगम के पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता	उद्योग भवन, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	उद्योग भवन, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली

(ई) प्रकटन:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013, लेखाकरण मानक पद्धति एवं अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।

(ii) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम पर कोई दंड/अवक्षेप नहीं लगा है।

(iii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) मार्ग-दर्शन में विनिर्दिष्ट बिंदुओं का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vi) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा-बही में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है।

(vii) व्यक्तिगत खर्च का वहन नहीं किया गया है किंतु बैठकों से संबंधित निदेशकों के लिए आवासीय प्रभार आदि के रूप में खर्च किया गया है।

(viii)अन्य सूचना:

(i) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही -

प्रत्येक वर्ष बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम बैठकें की जाती हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है। बोर्ड के समक्ष साधारणत: निम्नलिखित सूचनाएं रखी गई:

(ए) कार्यवृत्त की पुष्टि।

(बी) अनुवर्ती कार्रवाई।

(सी) कच्चे जूट के विपणन से संबंधित रिपोर्ट।

(डी) जूट बीजों का वितरण।

(ई) कानूनी मामलें।

(एफ) सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट।

(जी) सांविधिक अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट।

(एच) वार्षिक लेखा।

(आई) लेखापरीक्षक।

(ii) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची - बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक विभागीय प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करते हैं एवं निदेश देते हैं कि कार्यसूची से संबंधित कागजात कंपनी सचिव के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर दी जाए। कार्यसूची से संबंधित कागजात निदेशकों/सदस्यों के

पास भेजी जाती है। ठीक वैसे ही बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचारार्थ भेजी जाती है।

(iii) **विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि** - बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।

(iv) **बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग** - कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन होने के उपरांत उसे सभी निदेशकों/सदस्यों के पास परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात् बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है एवं तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।

(एफ)तिमाही रिपोर्ट

निगम ने वस्त्र मंत्रालय के पास कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुबंधित निर्धारित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट फाइल करता है। एक समेकित रिपोर्ट भी डीपीई के पास भेजी जाती है।

(जी) बोर्ड के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापार, आचरण एवं नीति संहिता का अंगीकरण - कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाला नीति:

निगम ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस (सीपीएसईज) के कार्पोरेट गोवर्नेंस के मार्ग-दर्शन के आधार पर आचरण-संहिता, जोखिम प्रबंधन - धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाले नीति विकसित की है जिसे बोर्ड के निदेशकगण द्वारा अपनाया गया है। प्रत्येक नीति की एक प्रति वेब-साइट : www.jutecorp.in पर रखा गया है।

11. लाभांश

भारत सरकार के निदेशानुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकगण ने अपने शेयरहोल्डर अर्थात् भारत सरकार को प्रति शेयर 92.40 रु. (विगत वर्ष 69.60 रु.) के हिसाब से लाभांश का भुगतान की संस्तुति करने के लिए विचार किये हैं। लाभांश के रूप में 4,62,00,000 रु. (विगत वर्ष 3,48,00,000 रु.) होगा। लाभांश का भुगतान निगम के आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

12. 49 वर्षों में वित्तीय निष्पादन का परिदृश्य

49 वर्षों के दौरान प्रारंभ से 2019-20 तक निगम की वित्तीय निष्पादन का एक सूक्ष्म-वीक्षण **परिशिष्ट -"बी"** में दिया गया है जो लाभ-हानि और आर्थिक सहायता के लेखा-जोखा से संबंधित है।

13. निदेशकगणों के दायित्वपूर्ण वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निगम के बोर्ड के निदेशकगण पुष्टि करता है कि :

(I) वार्षिक लेखों की तैयारी करने में सामग्री को छोड़ने के संदर्भ में यदि कुछ होता है तो उसके उचित व्याख्या सहित लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है जैसाकि अलग से लेखाकरण नीति के टिप्पणियों में दर्शाया गया है।

(ii) उन्होंने ऐसी ही लेखाकरण नीतियों को चुना है और उसे संगतिपूर्वक लागू किया है एवं उचित व विवेक से निर्णय एवं अनुमानित किया है जिससे 31 मार्च, 2020 तक निगम की कार्य-प्रणाली एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि के दृष्टिकोण से एक सच्ची एवं स्वच्छ तस्वीर दिखाई देता है।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखा और अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड्स के रख-रखाव को उचित ढंग से रखा है।

(iv) उन्होंने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

(v) कंपनी सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को रखने हेतु इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) का उप खंड(ई) लागू नहीं है।

(vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

14. लेखा पर लेखापरीक्षा के मंतव्य एवं वक्तव्य

समीक्षाधीन वर्ष के लिए निगम के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों का मंतव्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. मानवीय श्रोत प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

अपने कर्मचारियों के ज्ञान को अद्यतन एवं उन्नत करने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना निगम की प्राथमिकता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के 69 कर्मचारियों को विविध विषयों जैसे : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, एसटी/एससी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के आरक्षण के लिए नीति का कार्यान्वयन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, राजभाषा, एसएपी-एफआईसीओ, सिस्टम ऑडिट पर प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

16. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

निगम में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से की जाती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नामित किये गये हैं। मांगी गई सूचना नियत समय के अंदर दी जाती है।

17. मानव शक्ति

31.03.2020 तक निगम में 169 नियमित एवं 86 आकस्मिक कर्मचारीगण थे।

18. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.जा. की स्थिति

31.03.2020 तक निगम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में 24 अनु.जाति, 13 अनु.जनजाति एवं 18 अ.पि.जाति थे।

19. परिवार कल्याण

परिवार कल्याण के संबंध में निगम ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी तरह का प्रयास किया है।

20. यौन उत्पीड़न संबंधी सरकारी निदेशों का अनुपालन

निगम ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में विधिवत् आंतरिक समिति का गठन किया था। इसे फिर से गठित किया गया है क्योंकि पूर्ववर्ती समिति के अधिकांश सदस्यगण सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण एवं अन्य कारणों के कारण निगम के साथ संबद्ध नहीं थे। नई समिति में निगम के प्रधान कार्यालय के चार वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं जिनमें से दो महिलाएँ हैं। समिति की अध्यक्षा एमएसटीसी लि., एक सीपीएसई से एक महाप्रबंधक स्तर की महिला अधिकारी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत नहीं मिली थी।

21. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु निगम द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा

यद्यपि शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई बजटीय नियतन नहीं है (ऐसी कोई विनिर्दिष्ट योजना निगम को नहीं सौंपी गई है) परंतु उनके लिए वाहन भत्ता पर खर्च की इजाजत दी जा रही है जो सामान्य मामले में भुगतान की गई वाहन भत्ता की राशि से दोगुना है। इसके फलस्वरूप 31.03.2020 तक निगम के 10(दस) शारीरिक विकलांग कर्मचारीगण लाभान्वित हो रहे हैं।

22. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार निगम ने राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करते आ रहा है। निगम के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारीगण निरंतरता के आधार पर हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 16 सितम्बर, 2019 को हिंदी दिवस मनाया गया और 01 सितम्बर, 2019 से 13 सितम्बर, 2019 के बीच हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया जिसमें प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और निगम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी दिवस को लक्ष्य कर निगम के प्रधान कार्यालय में हिंदी में संगीत का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका निगम के कर्मचारियों एवं अतिथियों ने आंनद लिया। राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से तिमाही समीक्षा बैठकें हो रही हैं एवं बोर्ड को उनकी बैठक में नियमित रूप से इसकी प्रगति के बारे में सूचित किया जा रहा है। निगम को अप्रैल, 2019 में सोलन, हिमाचल प्रदेश में राजभाषा संस्थान द्वारा “कार्यालय ज्योति स्मृति चिहन” से सम्मानित किया गया जिससे समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में निगम ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया।

23. सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम

28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने वर्ष 2019-20 के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए “ईमानदारी - एक जीवन शैली” विषय के रूप में ग्रहण किया था। सप्ताह के दौरान प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में निगम के कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली गई। कमचारियों द्वारा सीवीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा भी ली गई। सतर्कता के महत्व का प्रचार करने वाले पोस्टरों को निगम के कार्यालयों के आस-पास चिपकाए गए। सतर्कता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर भी प्रदर्शित किए गए। सतर्कता सप्ताह के अंतिम दिन श्री शांतनु कर, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीबीआई को सतर्कता से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर अपने विचार साझा करने और निगम के कर्मचारियों को उसके बारे में बताने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतिम दिन प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों ने संबंधित वर्ष के विषय पर एक संक्षिप्त नाटक का मंचन किया।

24. बोर्ड के निदेशकगण

वर्ष के दौरान 19.02.2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निगम के बोर्ड में श्रीमती पूजा विधानी को गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

25. वार्षिक विवरण का सार

फार्म सं.एमजीटी-9

वार्षिक विवरण का सार

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I.	**पंजीकरण और अन्य ब्यौरा**		
	i)	सीआईएन	यू17232डब्ल्यूबी1971जीओआई027958
	ii)	पंजीकरण तिथि	02/04/1971
	iii)	कंपनी का नाम	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
	iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
	v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क ब्यौरा	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल, कोलकाता-700 087 दूरभाष: 033 2252 7027 / 7028 फैक्स: 91 33 2252 1771 / 7390
	vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	नहीं
	vii)	रेजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क ब्यौरा, यदि कुछ हो	लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यापार के क्रिया-कलाप:

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कंपनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा हो, को दर्शाया जाए:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
(I)	जूट बीज, जूट और इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार एवं विवरण		100%

III. होल्डिंग, सहायक और सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सह	रखे गये शेयरों की %	लागू धारा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

I) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रोमोटर्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
(२) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) एनआरआइज - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए) = (ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
१. संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) व्यक्तिगत शेयरधार-कगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयरधार-कगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स एवं एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य

(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर			वर्ष के अंत में रखे गये शेयर			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान रखे गये शेयर में % परिवर्तन
१.	भारत के राष्ट्रपति	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य
	कुल	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्डिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
	भारत के राष्ट्रपति	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	500000	100	500000	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमा राशि**	**कुल कर्जदारी**
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी (i) मूल राशि (ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया (iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	5.27 लाख रु.	-	-	5.27 लाख रु.
कुल (i)+(ii)+(iii)	5.27 लाख रु.	-	-	5.27 लाख रु.
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन * बढ़ोतरी * कटौती	5.27 लाख रु.	-	-	5.27 लाख रु.
शुद्ध परिवर्तन	5.27 लाख रु.	-	-	5.27 लाख रु.
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी (i) मूल राशि (ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया (iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0.27 लाख रु. - -	- - -	-	0.27 लाख रु. - -
कुल (i)+(ii)+(iii)	0.27 लाख रु.	-	-	0.27 लाख रु.

VI. निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण दोनों कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी की नियुक्ति एवं कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किया जाता है।

VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्योरा	लगाये गये दंड/सजा/समझौता फीस का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील की गई, यदि कुछ हो (ब्यौरा दें)
ए. कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी. निदेशकों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. चूक में अन्य अधिकारियों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

26. **उर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय**

जैसाकि विगत रिपोर्ट में सूचित किया गया है, निगम हमेशा ऊर्जा के संरक्षण के सकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत रहा है और इस संबंध में वह ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए हमेशा ग्रहणशील रहा है। वर्तमान में अपने सभी कार्यालयों में एलईडी लाइटों का उपयोग किया जाता है। अपने कई क्षेत्रीय कार्यालयों/आरएलडीज एवं डीपीसीज में सौर लाइट प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। निगम के कार्यालयों में सभी विद्युत उपकरणें कार्य-समय के उपरांत अनिवार्य रूप से बंद हो जाती है। कार्यालय उपयोग के लिए विद्युत उपकरण चुनते समय उसकी उर्जा दक्षता सुनिश्चित की जाती है। निगम सभी कार्यालयों में बिजली की खपत को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। निगम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी "अनुशंसित इष्टतम तापमान सेटिंग के माध्यम से बिल्डिंग स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण" से संबंधित दिशा-निर्देशों का निष्ठा से पालन करता है।

27. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, यथा संशोधित के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मेसर्स एस.के. मल्लिक एण्ड कं., कोलकाता को निगम का सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम को लागत के रिकार्डों का रख-रखाव करने की आवश्यकता नहीं है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

28. आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पटसन आयुक्त का कार्यालय एवं नेशनल जूट बोर्ड को निगम के कार्यों में समय-समय पर उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे कृषि लागत और मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि और सहकारिता विभागों, राज्य के शीर्ष सहकारिता संगठनों, पटसन विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक तथा अन्य बैंकों को उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण मेसर्स सेन एंड कं., सनदी लेखाकार, आंतरिक लेखापरीक्षक, मेसर्स एच.एस् भट्टाचार्जी एंड कं., सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं कंपनी पंजीयक कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अंत में, निदेशकगण निगम के स्टाफ, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से
(अजय कुमार जॉली)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
तिथि : 14.12.2020

परिशिष्ट "ए"

वित्तीय परिणाम 2019-20

(रु. लाख में)

	अन्तर्देशीय कच्चा जूट		जूट बीज	विविध जूट उत्पाद	कुल
	मूल्य समर्थन	वाणिज्यिक			
आय					
विक्रय	8542.88	3622.60	392.54	228.82	12786.84
ब्याज	539.81	0	0	0.82	540.63
सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	4139.00	0	0	0	4139.00
अन्य जमा	83.20	0	57.85	0	141.05
अन्तर्देशीय कच्चे जूट का स्थानांतरण	596.14	0	0	0	596.14
अंतिम स्टॉक	727.29	678.93	53.24	27.77	1487.23
पूर्व अवधि का समायोजन	0	0	0	0	0
कुल	**14628.32**	**4301.53**	**503.63**	**257.41**	**19690.89**
व्यय					
प्रारंभिक स्टॉक	2600.02	1732.48	24.44	7.67	4364.61
क्रय	5624.09	1363.90	434.47	222.21	7644.67
व्यापारिक खर्चे	615.36	168.66	0.00	11.89	795.91
गोदाम भाड़ा एवं बीमा	157.72	14.51	0	0	172.23
अन्तर्देशीय कच्चे जूट का स्थानांतरण	0	596.14	0	0	596.14
स्थायी खर्च	3965.16	0	0	1.07	3966.23
पूर्व अवधि का समायोजन	0	0	0	0	0.00
कुल	**12962.35**	**3875.69**	**458.91**	**242.84**	**17539.79**
अधिक्य(+)/कमी(-) ब्याज और मूल्यह्रास से पहले एक वर्ष का परिचालन	**1665.97**	**425.84**	**44.72**	**14.57**	**2151.10**
ब्याज	7.11	0	0	0	7.11
मूल्यह्रास और परिशोधन	14.94	0	0	0	14.94
आयकर के लिए प्रावधान	455.17	117.90	12.38	4.03	589.48
वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	1188.75	307.93	32.34	10.53	1539.55
प्रस्तावित लाभांश	0	0	0	0	462.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	0	0	0	0	0.00
वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	0	0	0	0	1077.56
31.03.2019 तक आरक्षित एवं अधिशेष	0	0	0	0	13150.37
31.03.2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष	0	0	0	0	**14270.39**

परिशिष्ट "बी"

49 वर्षों (1971-72 से 2019-20) के लाभ-हानि का सूक्ष्म-वीक्षण

(रु. करोड़ में)

		2019-20 तक संचयी	कुल व्यय रु. 5161.92 के विभिन्न मदों की प्रतिशतता
I.	**आय**		
	विक्रय	3655.01	
	सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	716.49	
	सरकार से आर्थिक सहायता (बीज)	14.93	
	पश्चिम बंगाल से विशेष आर्थिक सहायता (एमएसपी)	1.55	
	अन्य आय	270.68	
	अंतिम स्टॉक	14.87	
		4673.53	**91**
II.	**व्यय**(स्थायी खर्च एवं ब्याज को छोड़कर)		
	क्रय	2930.87	
	व्यापारिक एवं परिचालन खर्चे	330.62	
	भंडारण	97.48	
	बीमा	32.97	
	पूर्व अवधि तथा अन्य का समायोजन	16.20	
		3408.14	**66**
III.	स्थायी खर्च एवं ब्याज से पहले का अधिशेष (I-II)	1265.39	
IV.	बाद : स्थायी खर्च	1168.24	**23**
V.	ब्याज से पहले का अधिशेष/(कमी) (III-IV)	97.15	
VI.	योग : उधार पर ब्याज	(585.58)	**11**
		(488.43)	
VII.	आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10 ,2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20)	76.87	
	फ्रिंज लाभ कर (2005-06 to 2008-09)	0.37	
	वितरण कर सहित सरकार को लाभांश (1971-72, 1973-74, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20)	13.96	
	हानि :	(579.63)	
VIII.	खाते में आर्थिक सहायता जमा (2002-03 तक)	555.20	
IX.	वित्तीय पुन:संरचना के फलस्वरूप बट्टे खाते में 2002-03 तक का संचित हानि	144.17	
X.	वित्तीय पुन:संरचना के फलस्वरूप पूंजीगत लाभ	22.96	
XI.	तुलन-पत्र में लाये गये वित्तीय वर्ष 2019-20 तक का लाभ (जमा अंक) (VIII+IX+X-VII)	142.70	

परिशिष्ट "सी"

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

1	कंपनी के सीएसआर की नीति के संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें अपनाये जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य और सीएसआर की नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ शामिल हैं।	भापनि एक लाभकारी संगठन होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापें करना है। सीएसआर की समिति द्वारा संस्तुत सीएसआर नीति एवं 25.06.2019 को आयोजित बोर्ड की 252वीं बैठक में उनके द्वारा दिये गये अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए निगम के सीएसआर क्रिया-कलापें की गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। **निगम का सीएसआर नीति** भारतीय पटसन निग लिमिटेड (भापनि), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) का स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य साधारणत: उगाए गए जूट के लिए समुचित मूल्य प्रदान करते हुए और विशेषकर मजबूरन बिक्री करने से बचाते हुए जूट कृषकों के हितों का रक्षा करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप करने के अतिरिक्त भापनि बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखे हुए वाणिज्यिक क्रय व विक्रय भी करता है। तदनुसार, जूट कृषकगण जो सीमित आय के साथ बड़े पैमाने पर छोटे और मार्जिनल कृषक हैं, का कल्याण इस सीएसआर नीति का फोकस व मार्ग-दर्शक कारक हो सकता है। प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध सीएसआर क्रिया-कलापों पर विगत तीन वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2(दो) प्रतिशत व्यय करने का प्रयत्न करेगा। किसी खास वर्ष में सीएसआर क्रिया-कलापों की पहचान एवं कार्यान्वित करते समय लोक उद्यम विभाग, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा जारी निदेशों, यदि कुछ हो, को ध्यान में रखा जाएगा। जूट कृषकों/बुनकरों को उनकी कमाई और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए नए कौशल व प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने और जूट कृषकों/बुनकरों के संतानों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

परिशिष्ट "सी" (Cont'd)

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट (Cont'd)

		चल रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को पूरा करने का प्रयास किये जाएंगे जिसमें जूट कृषकों/बुनकरों के लिए पीने का पानी, स्वच्छता एवं मां व बाल स्वास्थ्य देखभाल टीकाकरण आदि शामिल हैं। राशि जो वर्ष के अंत में अव्ययित रह सकती है उसे आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा। **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बनाये गये योजनाओं एवं बजट का कार्यक्रम** 1. इस संबंध में डीपीई के मार्ग-दर्शन के अनुसार सीएसआर के समिति द्वारा चिह्नीत 05 आकांक्षात्मक जिलों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधित क्रिया-कलापों हेतु सीएसआर की परियोजना, स्वच्छ उत्पादन हेतु नवाचार प्रक्रियाएं (डीपीसीज में आधुनिक पर्यावरण हितैषी रेटिंग प्रौद्योगिकी के साथ जूट के पौधे का रेटिंग)। 2. जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल के विकास के लिए परियोजनाएं। 3. समाज के हित के लिए प्रशंसनीय कार्य करने वाले विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों को अंशदान।
2	सीएसआर की समिति का गठन	1. डा. एस. के. पांडा, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष 2. श्रीमती पूजी विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक - सदस्य 3. सुश्री शेरी लालथांगजो, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य 4. श्री ए. के. जॉली, सीएमडी - सदस्य
3	विगत तीन वित्तीय वर्षों के कंपनी का औसतन शुद्ध लाभ (कर से पहले) (2016-17, 2017-18 एवं 2018-19)	रु.20,29,00,000/-

परिशिष्ट "सी" (Cont'd)

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट (Cont'd)

4	निर्धारित सीएसआर पर खर्च (उपरोक्त 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)	रु.40,59,000/-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा 1) वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की जाने वाली कुल राशि 2) अव्ययित राशि, यदि कुछ हो 3) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ढंग	1) रु.40,59,000/- 2) 2019-20 के सीएसआर बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.19.59 लाख खर्च की जाएगी। 3) खर्च की गई राशि के ढंग को नीचे के तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका - 2019-20 के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना	राशि
I	इस संबंध में डीपीई के मार्ग-दर्शन के अनुसार सीएसआर के समिति द्वारा चिह्नीत 05 आकांक्षात्मक जिलों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधित क्रिया-कलापों हेतु सीएसआर की परियोजनाओं का कार्यान्वयन	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल, असम एवं बिहार	25,00,000/-
II	जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल के विकास के लिए परियोजनाएं।	शिक्षा/प्रशिक्षण/ महिलाओं को सशक्त बनाना	ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश	3,00,000/-
III	"सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसजीसीसी एंड आरआई)", ठाकुरपुकुर, कोलकाता को कैंसर रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक "बीपप एवं सिरिंज पंप्स" के लिए अंशदान।	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल	2,50,000/-

परिशिष्ट “सी” (Cont’d)

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट (Cont’d)

तालिका - 2019-20 के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा (Cont’d)

क्र.सं.	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना	राशि
IV	लाइब्रेरी बिल्डिंग एवं घेरा का निर्माण करने के लिए "सैदन यूथ क्लब", मणिपुर को अंशदान	शिक्षा सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना	मणिपुर	2,00,000/-
V	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय	पूरे भारतवर्ष	2,00,000/-
VI	प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में अंशदान।	स्वास्थ्य	पूरे भारतवर्ष	18,68,000/-
	कुल			**53,18,000/-**

6	चिह्नीत राशि को खर्च नहीं करने का कारण	“रोसा” एवं “नारी” के नाम से दो संगठनों को संबंधित परियोजना के लिए चयन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना को लागू करने के लिए पहली किस्त के रूप में दोनों संगठनों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिये गये हैं। अनुवर्ती कार्य पूर्ण होने पर उपरोक्त नाम के दोनों संगठनों में से प्रत्येक को बचे शेष राशि 3.5 लाख रु. दी जाएगी।
7	सीएसआर की समिति से विवरण	सीएसआर की समिति ने पुष्टि की है कि पैरा-1 में दी गई सीएसआर के क्रिया-कलापों की रूपरेखा के अनुरूप सीएसआर से संबंधित खर्च की गई है।

पांच वर्षों की रूपरेखा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ए	**परिचालन के आंकड़े**					
	कुल कारोबार	2134.02	6330.17	18004.07	18433.84	12786.83
	अन्य आय	6096.21	5948.53	5295.87	6388.77	4820.68
	खर्च	6395.47	11047.80	20547.37	22789.88	15478.48
	पूर्व अवधि का समायोजन (शुद्ध)	5.90	(58.10)	6.46	(18.66)	0.00
	कर से पहले लाभ	1828.84	1289.00	2746.11	2051.39	2129.03
	कर	715.00	353.00	977.92	891.46	589.48
	आस्थगित कर खर्चे	25.25	16.21	0.00	0.00	0.00
	कर के उपरांत लाभ	1088.60	919.79	1768.20	1159.93	1539.55
	लाभांश कर सहित लाभांश	-	332.19	638.50	419.53	0.00
	सामान्य रिजर्व में राशि स्थानांतरण	1088.60	587.60	1129.70	740.40	0.00
बी	**वित्तीय स्थिति**					
	नियोजित पूंजी	10773.13	11360.74	12490.44	13650.37	14770.39
	अप्रचलित परिसंपत्तियां	249.62	240.71	238.99	378.85	396.70
	चालू परिसंपत्तियां	17235.87	19077.45	26399.78	21739.12	21290.29
	इक्विटी एवं देयताएं :					
	i) शेयर पूंजी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	ii) आरक्षित एवं अधिशेष	10273.13	10860.74	11990.44	13150.37	14270.39
	अप्रचलित देयताएं	3722.76	3446.25	3318.82	4216.27	3988.11
	चालू देयताएं	2989.6	4511.17	10829.52	4251.34	2928.50
सी	**अनुपात**					
	पीबीटी/कुल कारोबार	0.86	0.20	0.15	0.11	0.17
	पीएटी/कुल कारोबार	0.51	0.15	0.10	0.06	0.12
	पीबीटी/नियोजित पूंजी	0.17	0.11	0.22	0.15	0.14
	पीएटी/कुल मूल्य	0.10	0.08	0.14	0.08	0.10
	कुल कारोबार/कुल मूल्य (कई बार)	0.20	0.56	1.44	1.35	0.87
	प्राप्तियोग्य व्यापार/कुल कारोबार (%)	8.16	0.93	26.05	10.78	13.71

कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र

सेवा में,सदस्यगण,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा किये गये कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन की जांच की जैसाकि केंद्रीय लोक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-सीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कार्पोरेट गोवर्नेंस से संबंधित मार्ग-दर्शन ("मार्ग-दर्शन") में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव और कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारा उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जांच की दायरा सीमित है जिसे कंपनी द्वारा कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जैसाकि मार्ग-दर्शन में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर विचार प्रकट करना है।

हमारी राय से और जहां तक जानकारी है एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी ने कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है जैसाकि उपरोक्त मार्ग-दर्शन में निर्धारित किया गया है:

i) मार्ग-दर्शन का खंड 3.1.4 : कि यदि सीपीएसई सूचीबद्ध नहीं है तो बोर्ड के सदस्य का कम-से-कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकगण होना चाहिए।

ii) मार्ग-दर्शन का खंड 4.1.1 : कि लेखापरीक्षा समिति का दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशकगण होगा।

हम पुन: जानकारी देते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है न ही इसका दक्षता या प्रभाव है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य का संचालन किया है।

वास्ते एच.एस. भट्टाचार्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
सदस्यता सं. 057516
यूडीआईएन:20057516एएएबीजे9403

स्थान : कोलकाता
तिथि : 10 नवम्बर, 2020

क्षेत्रीय कार्यालय

31.03.2020 तक

राज्य		क्षे.का./आरएलडी	डीपीसी की संख्या
पश्चिम बंगाल	1.	कोलकाता आरएलडी	22
	2.	कृष्णनगर	15
	3.	बेथुवाडहरी	11
	4.	बरहमपुर	13
	5.	तुलसीहाटा आरएलडी	10
	6.	सिलीगुड़ी	10
	7.	कूचबिहार	9
बिहार		फारबिसगंज	17
असम/मेघालय	1.	जुरिया आरएलडी	10
	2.	गौरीपुर आरएलडी	5
	3.	गुवाहाटी	7
त्रिपुरा		अगरतला	2
ओडिशा		भद्रक	6
आंध्रप्रदेश		पार्वतीपुरम्	4
			141

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट

सदस्यगण,

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट

सशर्त राय

हमने **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा किया जिसमें 31 मार्च, 2020 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, वर्ष के अंत तक का नकद प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारे रिपोर्ट के सशर्त राय हेतु आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देती हैं और भारत में साधारणत: स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 तक के कंपनी के कार्यों एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ एवं उसके नकद प्रवाह का एक सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

सशर्त राय हेतु आधार

1. हमारी राय से व्यापार देय, सिक्योरिटी जमा, प्रतिधारण राशि, अन्य देय और अन्य अग्रिम व वसूली योग्य के कारण शेष राशि की पुष्टि करने के लिए कंपनी की प्रणाली को और सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह से ऐसे देयताओं के बाद के निर्वहन-क्षमता एवं ऐसे अग्रिमों की वसूली-क्षमता पुष्टि/समाधान के अधीन हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त मामलों के बारे में हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या लाभ-हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण तैयार करते हुए तुलन-पत्र और अनुवर्ती तत्व में कोई भी समायोजन आवश्यक पाया गया होगा।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों (एसएज) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा संचालित किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

अन्य मामले

सशर्त राय हेतु आधार में वर्णित मामले के अलावा हमने अपने रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

1. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 31 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.14497881/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि, आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।
2. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 7 दर्शाता है कि व्यापार देय राशि रु.54526935/- (विगत जमा शेष राशि रु.37884476/-) में जमा शेष राशि रु.76485/- (विगत जमा शेष राशि रु.2031418/-) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।
3. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 8 दर्शाता है कि ग्राहकों से अग्रिम राशि रु.13255809/- (विगत जमा शेष राशि रु.42533131) में जमा शेष राशि रु.6213163/- (विगत जमा शेष राशि रु.5005510/-) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।
4. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.12 एवं 14 दर्शाता है कि व्यापार प्राप्य राशि रु.175281723/- (विगत जमा शेष राशि रु.198724382) में जमा शेष राशि रु.1243303/- शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।
5. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.30 दर्शाता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारण कोई भी राशि नहीं बची है क्योंकि भुगतान तत्काल आधार पर किया जाता है।
6. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.38 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.1285286/- में से रु.151264/- की वसूली हो सका है।
7. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.40 जो वर्णन करता है कि प्राप्य दावे की ढुलाई राशि का संशोधन कर रु.29303893/- की गई है जैसाकि बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है।
8. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.41 जो भागीरथपुर डीपीसी, पश्चिम बंगाल में आग लगने के कारण रु.5379814/- के एमएसपी वाले कच्चे जूट के क्षतिग्रस्त स्टॉक को प्रकट करता है एवं संपूर्ण हानि के दावे को बीमा कंपनी के पास विधिवत् दर्ज किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार हैं जो साधारणत: भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों एवं इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन (इक्वीटी में परिवर्तित) एवं नकद प्रवाह का सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रख-रखाव, उपयुक्त कार्यान्वयन का चयन व प्रयोज्य एवं लेखाकरण नीतियों का रख-रखाव, निर्णय व

आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रबंधन को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रखने, प्रकटन करने जैसाकि लागू है, लाभप्रद व्यवसाय से संबंधित मामले एवं लेखाकरण का लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर उपयोग करने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने की जिम्मेदारी है जबतक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बोर्ड के निदेशकगण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरणियां गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरणियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और वह सामग्री माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर उन्हें इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के शर्त्तानुसार भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक के रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हमने आदेश के पैरा 3 एवं 4, लागू होने तक, में विनिर्दिष्ट मामलों पर **"संलग्नक-ए"** में विवरण दिये हैं।

जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में अपेक्षित है, कंपनी के बही-खाता एवं रिकार्डों की ऐसी जांच के आधार पर जैसाकि हमने उचित समझा और हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर **"संलग्नक-बी"** संलग्न कर रहे हैं।

जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) उपरोक्त सशर्त राय हेतु आधार के अलावा हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे।

(बी) उपरोक्त सशर्त राय हेतु आधार के अलावा खाते के समुचित बही-खाते को जैसाकि विधि द्वारा अपेक्षित है उसे कंपनी द्वारा रखा गया है जहां तक उन बही-खाते की हमारी जांच से प्रकट होता है।

(सी) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि विवरण लेखा के बही-खाते से मेल खाते हैं।

(डी) उपरोक्त सशर्त राय हेतु आधार के अलावा उपरोक्त वित्तीय विवरणियों का अनुपालन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ-साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण के साथ किया गया है।

(ई) उपरोक्त सशर्त राय हेतु आधार के अलावा हमारी राय से वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों से संबंधित टिप्पणियां कंपनी के कार्य-निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं।

(एफ) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के शर्त्तानुसार निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित इस अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(जी) उपरोक्त सशर्त राय हेतु आधार के अलावा हमारे पास लेखा के रख-रखाव एवं इससे संबद्ध अन्य मामले से संबंधित कोई अन्य सशर्त, संदेह अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(एच) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट **“संलग्नक-सी”** में देखें।

(आई) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 का नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय व जानकारी से एवं हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए. कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

बी. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिससे कोई भी सामग्री की पूर्वानुमान योग्य हानि हो।

सी. ऐसी कोई भी भुगतान न की गई लाभांश राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण करने की आवश्यकता पड़े।

वास्ते एच.एस. भट्टाचार्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
सदस्यता सं. 057516
यूडीआईएन:20057516एएएबीए1417

स्थान : कोलकाता
तिथि : 12 अक्टूबर, 2020

लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का "संलग्नक-ए"

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को **31 मार्च, 2020** को समाप्त वर्ष के हमारे रिपोर्ट में दर्शाये गये संलग्नक। हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. (ए) कंपनी ने संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव किया है जिसमें निश्चित परिसंपत्तियों की मात्रात्मक ब्यौरा एवं परिस्थिति शामिल है।

   (बी) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर कंपनी की निश्चित परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है एवं ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।

   सी) कंपनी अपने नाम पर कोई फ्री-होल्ड अचल परिसंपत्तियां नहीं रखती है।

2. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है एवं ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।

3. कंपनी ने इस कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रख-रखाव किये गये रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्यान्य को सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

4. एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.163(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के शर्त्तानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं इस अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान और उसके अंतर्गत तैयार नियमों के अधीन कंपनी ने जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।

6. इस कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकार्डों के रख-रखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

7. (ए) कंपनी अविवादित सांविधिक बकाया राशि से संबंधित आयकर, ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी एवं कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि को सक्षम प्राधिकारी के पास साधारणत: नियमित रूप से जमा कर रहा है।

   (बी) निर्धारण वर्ष 2008-09 के 0.08 लाख रु., निर्धारण वर्ष 2009-10 के 896.76 लाख रु. एवं निर्धारण वर्ष 2013-14 के 195.45 लाख रु. की आयकर मांग आयकर प्राधिकारी के समक्ष अपील के अधीन है।

8. वर्ष के दौरान कंपनी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार के आवधिक ऋण या कर्ज अथवा डिबेंचर धारकों की बकाया राशि को चुकाने में कसूरवार नहीं है।

9. वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या दुवारा सार्वजनिक पेशकश (ऋण के साधन सहित) एवं आवधिक ऋण के माध्यम से मुद्रा प्राप्त नहीं किया है।

10. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी अथवा कंपनी पर कोई धोखा-धड़ी नहीं देखा गया है अथवा रिपोर्टित किया गया है।

11. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.सी.एस.आर.463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के शर्तानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं है।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हुए कंपनी का समस्त लेन-देन संबंधित पार्टियों के साथ हुआ है और उसका ब्यौरा दर्शाया गया है जैसाकि लागू लेखाकरण मानक द्वारा अपेक्षित है।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा संपूर्ण डिबेंचरों या आंशिक बदलने योग्य डिबेंचरों का कोई भी तरजीही आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकदी लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते एच.एस. भट्टाचार्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
सदस्यता सं. 057516

स्थान : कोलकाता
तिथि : 12 अक्टूबर, 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का "संलग्नक-बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के शर्त्तानुसार **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों को **31 मार्च, 2020** को समाप्त वर्ष के हमारे रिपोर्ट में दर्शाये गये संलग्नक।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सामान्य दिशा-निर्देश

क्र.सं.	दिशा-निर्देश	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण के लेन-देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो लेखों के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव की सत्यनिष्ठा पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेन-देन की प्रक्रिया के प्रभाव यदि कोई हो, को दर्शाया जाए।	हां
2.	क्या ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन की जा रही है या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव दर्शाया जाए।	नहीं
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधियों को इसके निबंधन और शर्तें के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किये गये थे? व्यतिक्रम के मामलों की सूची।	हां

वास्ते एच.एस. भट्टाचार्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
सदस्यता सं. 057516

स्थान : कोलकाता
तिथि : 12 अक्टूबर, 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का "संलग्नक-सी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट।

31 मार्च, 2020 तक का हमने **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** (इसके उपरांत "कंपनी" के रूप में दर्शाया गया है) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों का हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी के प्रबंधन को कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व रख-रखाव करने का दायित्व है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार को सुव्यवस्थित रूप से एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रूप से परिचालन हो रहे थे जिसमें कंपनी के नीतियों का अवलंबन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखा-धड़ी व त्रुटियां रोकना एवं पता लगाना, लेखाकरण के रिकार्डों की शुद्धता व संपूर्णता एवं विश्वासनीय वित्तीय सूचना को सही समय से तैयार करना शामिल है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विचार प्रकट करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी ("मार्ग-दर्शन की टिप्पणी") एवं लेखाकरण संबंधी मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित समझा गया के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है, जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू है और दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं मार्ग-दर्शन की टिप्पणी की मांग है कि हम क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रख-रखाव किया गया है से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के नैतिक आवश्यकताओं, प्लान एवं कार्य-निष्पादन का अनुपालन करें और ऐसी नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावकारी रूप से परिचालित हुई है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उसके परिचालन के प्रभावपूर्णता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से संबंधित लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ताल-मेल प्राप्त करना, जोखिम आंकना जो भौतिक कमजोरी विद्यमान है, डिजाइन का जांच व मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्णता का परिचालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें वित्तीय विवरणियों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखा-धड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा का साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षा की राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता एवं साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां एवं कार्यविधि शामिल है। (1) उचित ब्यौरा के साथ रिकार्डों का रख-रखाव होना जो कंपनी के परिसंपत्तियों का लेन-देन व प्रबंधन को सही ढंग से व न्यायपूर्वक प्रतिविंबित करता है। (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका लेन-देन रिकार्ड होता है जैसाकि साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक है एवं कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों की अनुमति के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं खर्च की जा रही है और (3) कंपनी के परिसंपत्तियों का अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा प्रबंध को रोकने या सही समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणियों पर प्रभाव डाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा धोखा-धड़ी की वजह से गलत विवरणियों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय से भी मामलों में कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का रख-रखाव किया है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2020 तक का प्रभावी ढंग से परिचालन किया है।

वास्ते एच.एस. भट्टाचार्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
सदस्यता सं. 057516

स्थान : कोलकाता
तिथि : 12 अक्टूबर, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निगम पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किये गये मंतव्य पर प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
	भाग-I सशर्त राय हेतु आधार	
1.	हमारी राय से व्यापार देय, सिक्योरिटी जमा, प्रतिधारण राशि, अन्य देय और अन्य अग्रिम व वसूली योग्य के कारण शेष राशि की पुष्टि करने के लिए कंपनी की प्रणाली को और सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह से ऐसे देयताओं के बाद के निर्वहन-क्षमता एवं ऐसे अग्रिमों की वसूली-क्षमता पुष्टि/समाधान के अधीन हैं।	भापनि ने लेखापरीक्षक के मंतव्य को नोट किया जैसाकि जमा शेष राशि की पुष्टि करने की वर्तमान प्रणाली में सुधार के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है। पार्टियों के साथ समाधान करने के बाद मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार शेष राशि की पुष्टि की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अधिकांश शेष राशि की पुष्टि की गई और एक सूची संलग्न है। जैसाकि लेखापरीक्षक द्वारा सलाह दी गई है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में तिमाही आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विस्तृत समीक्षा की जाएगी और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शेष राशि की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों को शेष राशि की पुष्टि से संबंधित पत्र तिमाही आधार पर लिखे जाएंगे।
	भाग-II मामलों के जोर	
1.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 31 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.1,44,97,881/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि, आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।	भापनि केवल इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए भापनि ऐसी आवधिक जमा राशि पर अर्जित ब्याज से उत्पन्न आय का दावा नहीं कर रहा है। चूंकि ये आवधिक जमा राशि भापनि के नाम से हैं और बैंकों द्वारा भापनि के पैन के विरूद्ध टीडीएस की कटौती की जा रही है इसलिए भापनि के खातों एवं संबंधित परियोजनाओं के खातों के बीच आवश्यक आयकर लेखांकन प्रविष्टियां पास हुई हैं। इसे पहले ही वार्षिक लेखा की टिप्पणी सं.4, 9 एवं 31 के अंतर्गत दर्शाया जा चुका है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
2.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 7 दर्शाता है कि व्यापार देय राशि रु.5,45,26,935/- (विगत जमा शेष राशि रु.3,78,84,476/-) में जमा शेष राशि रु.76,485/- (विगत जमा शेष राशि रु.20,31,418/-) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के रु.3.56 करोड़ के बिल के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ऋणदाताओं की जमा शेष राशि विगत वर्ष से अधिक था एवं बाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उस राशि का भुगतान एनएससी को किया गया। लेखापरीक्षक के परामर्श से मामले की समीक्षा पहले ही हो चुका है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 96% पिछली जमा शेष राशि का समाधान/भुगतान हो चुका है। समीक्षा एवं यथोचित समाधान के उपरांत बचे हुए जमा शेष राशि के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए जाएंगे।
3.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 8 दर्शाता है कि ग्राहकों से अग्रिम राशि रु.1,32,55,809/- (विगत जमा शेष राशि रु.4,25,33,131) में जमा शेष राशि रु.62,13,163/- (विगत जमा शेष राशि रु.50,05,510/-) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	मामले को समीक्षा करने के लिए नोट किया एवं यथोचित समाधान के उपरांत आवश्यक सुधारात्मक उपय वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए जाएंगे।
4.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.12 एवं 14 दर्शाता है कि व्यापार प्राप्य राशि रु.17,52,81,723/- (विगत जमा शेष राशि रु.19,87,24,382) में जमा शेष राशि रु.12,43,303/- शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	मामले को समीक्षा करने के लिए नोट किया एवं यथोचित समाधान के उपरांत आवश्यक सुधारात्मक उपय वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए जाएंगे।
5.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.30 दर्शाता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‍यमों के कारण कोई भी राशि नहीं बची है क्योंकि भुगतान तत्काल आधार पर किया जाता है।	इसे पहले ही वार्षिक लेखा की टिप्पणी सं.30 के अंतर्गत दर्शाया जा चुका है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
6.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.38 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.12,85,286/- में से रु.1,51,264/- की वसूली हो सका है।	निगम ने एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के विरूद्ध ऑनलाइन (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से सीधे जूट कृषकों को भुगतान का संवितरण करने की पहल की थी। इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनाया गया था और जूट कृषकों को भुगतान करने के लिए खरीद इनपुट डेटा भी संसाधित किया गया था। हालांकि, एक अनपेक्षित त्रुटि के कारण जो सामान्य जोखिमों से परे थी जिसे कंप्यूटरीकरण करते समय नहीं देखा जा सकता था, ऑनलाइन भुगतान के निष्पादन की प्रारंभिक अवधि के दौरान अज्ञात लाभार्थियों को रु.1.45 लाख की राशि हस्तांतरित हो गई थी। प्रबंधन ने तुरंत हमारे बैंकरों के साथ यह मामला उठाया एवं राशि जो गलत लाभार्थियों को चला गया था, की वसूली करने में सतत् प्रयास किए। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान रु.125.55 लाख की वसूली की गई एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 तक प्रारंभिक शेष राशि रु.19.45 लाख था। इसके अलावा हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान रु.6.60 लाख की वसूली की और 31.03.2020 तक अंतिम शेष राशि रु.12.45 लाख था। इसके अलावा 01.04.2020 से 20.11.2020 के बीच रु.2.27 लाख की वसूली की गई। साथ ही हम शेष राशि की वसूली के लिए बैंकों के साथ इस मामले का लगातार अनुसरण कर रहे हैं और बकाया राशि वसूल होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ब्यौरे को लेखा की टिप्पणी सं.38 में दर्शाया गया है।
7.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.40 जो वर्णन करता है कि प्राप्य दावे की ढुलाई राशि का संशोधन कर रु.2,93,03,893/- की गई है जैसाकि बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है।	इसे वार्षिक लेखा की टिप्पणी सं.40 के अंतर्गत दर्शाया गया है एवं लेखाकरण प्रभाव को पहले ही टिप्पणी सं.17 एवं 25 में दिया गया है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
8.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.41 जो भागीरथपुर डीपीसी, पश्चिम बंगाल में आग लगने के कारण रु.53,79,814/- के एमएसपी वाले कच्चे जूट के क्षतिग्रस्त स्टॉक को प्रकट करता है एवं संपूर्ण हानि के दावे को बीमा कंपनी के पास विधिवत् दर्ज किया गया है।	भापनि ने संपूर्ण राशि रु.53.80 लाख का विधिवत् बीमा दावे किया है। बीमा कंपनी के पर्यवेक्षण में क्षतिग्रस्त एमएसपी कच्चे जूट से बचने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भापनि ने रु.32.93 लाख प्राप्त किया है। इसके अलावा, शेष राशि बीमा कंपनी के विचाराधीन है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य-प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणियों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि 12 अक्टूबर, 2020 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया हूं।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

(सुपर्णा देब)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09 नवम्बर, 2020

31 मार्च, 2020 तक का तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. इक्विटी एवं दायित्व			
अंशधारियों की निधि			
शेयर पूंजी	**3(ए)**	50,000,000	50,000,000
आरक्षित एवं अधिशेष	**3(बी)**	1,427,038,582	1,315,036,584
अप्रचलित देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	**4**	272,199,174	260,381,263
दीर्घावधि प्रावधान	**5**	126,611,454	161,245,320
चालू देयताएं			
अल्पावधि उधार	**6**	27,511	527,513
व्यापारिक देय	**7**	54,059,685	35,853,058
अन्य चालू देयताएं	**8**	170,007,341	354,406,648
अल्पावधि प्रावधान	**9**	68,755,702	34,346,836
कुल		**2,168,699,449**	**2,211,797,222**
II. परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**10**	23,736,723	24,855,460
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	**10**	327,114	348,565
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	**11**	24,566	27,245
अन्य अप्रचलित संपत्तियां	**12**	15,582,041	12,653,995
चालू परिसंपत्तियां			
वस्तुसूची	**13**	148,722,460	436,461,164
व्यापारिक प्राप्य	**14**	163,870,698	189,602,123
नकद एवं नकद समतुल्य	**15**	1,299,249,283	1,053,392,324
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	**16**	24,412,596	28,439,786
अन्य चालू परिसंपत्तियां	**17**	492,773,968	466,016,560
कुल		**2,168,699,449**	**2,211,797,222**
सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1 & 2**		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	**27-43**		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते **एच.एस. भट्टाचार्जी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
(सदस्यता सं. 057516)

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अजय कुमार जॉली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08427305

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12.10.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I. राजस्व			
क्रिया-कलापों से राजस्व	18	1,692,583,066	2,343,383,566
अन्य आय	19	68,167,757	140,742,659
कुल राजस्व		**1,760,750,823**	**2,484,126,225**
II. खर्चे			
व्यापारिक वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष खर्च का लागत	20	794,615,418	735,524,285
व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन	21	287,738,704	962,425,631
कर्मचारी लाभ खर्चे	22	341,032,011	429,840,968
वित्त लागत	23	711,275	11,080,706
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे	24	1,493,978	1,604,707
अन्य खर्चे	25	99,300,365	116,251,904
विविध खर्चे	26	22,955,834	22,259,417
कुल खर्चे		**1,547,847,585**	**2,278,987,618**
अपवादी एवं असाधारण खर्चे से पहले लाभ		**212,903,238**	**205,138,607**
अपवादी मदें		-	-
असाधारण मदें		-	-
कर से पहले लाभ		**212,903,238**	**205,138,607**
कर खर्चे:			
वर्तमान कर		(58,948,000)	(77,377,000)
विगत वर्ष		-	(11,768,909)
आस्थगित कर		-	-
कर के उपरांत लाभ		**153,955,238**	**115,992,698**
इक्वीटी शेयर का औसतन सं. (प्रत्येक 100 रु. का अंकित मूल्य)		**500,000**	**500,000**
मूल अर्जन प्रति शेयर		**308**	**232**
मिश्रित अर्जन प्रति शेयर		**308**	**232**
सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1 & 2**		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	**27-43**		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते **एच.एस. भट्टाचार्जी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
(सदस्यता सं. 057516)
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12.10.2020

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अजय कुमार जॉली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08427305

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2019-2020	2018-2019
ए परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
कर एवं पूर्व अवधि के समायोजन से पहले लाभ/(हानि)	212,903,238	205,138,607
समायोजन हेतु:		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे	1,493,978	1,604,707
ब्याज आय	(54,062,862)	(29,038,360)
वित्त लागत	711,275	11,080,706
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	161,045,629	188,785,660
वस्तुसूची में (बढ़ोतरी)/कमी	287,738,704	962,425,631
विविध देनदारों में (बढ़ोतरी)/कमी	25,731,425	279,403,366
ऋण एवं अग्रिम राशि में (बढ़ोतरी)/कमी	(47,526,313)	(468,701,767)
देयताओं एवं प्रावधानों में बढ़ोतरी/(कमी)	(165,297,620)	(92,402,573)
	261,691,825	869,510,317
बाद : भुगतान किये गये आयकर	(36,655,518)	(166,130,224)
परिचालन के क्रिया-कलाप से शुद्ध नकद प्रवाह	**225,036,307**	**703,380,093**
बी निवेश के क्रिया-कलाप से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का क्रय	(354,930)	(3,509,404)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की बिक्री/वसूली	1,140	54,673
प्राप्त ब्याज	54,062,862	29,038,360
निवेश के क्रिया-कलाप से शुद्ध नकद प्रवाह	**53,709,072**	**25,583,629**
सी वित्तीय क्रिया-कलाप से नकद प्रवाह		
ली गई/(चुकाया गया) अल्पावधि ऋण	(500,002)	(365,370,151)
वित्तीय लागत	(711,275)	(11,080,706)
वितरण कर सहित भुगतान किये गये लाभांश	(41,953,240)	(63,849,731)
वित्तीय क्रिया-कलाप से शुद्ध नकद प्रवाह	**(43,164,517)**	**(440,300,588)**
नकद एवं नकद के समतुल्य में शुद्ध बढ़ोतरी/कमी	235,580,862	288,663,134
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद के समतुल्य	841,491,203	552,828,069
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद के समतुल्य	**1,077,072,065**	**841,491,203**

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते **एच.एस. भट्टाचार्जी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
(सदस्यता सं. 057516)
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12.10.2020

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अजय कुमार जॉली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08427305

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणी

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2019-2020	2018-2019
1 **नकद एवं नकद समतुल्य**		
तुलन-पत्र के अनुसार - नकद एवं नकद समतुल्य	1,299,249,283	1,053,392,324
बाद : नकद, बैंक एवं सावधि जमा		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	7,296,378	6,939,084
बायो-टेक्नोलॉजिकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	117,305	117,305
आईजेएसजी	1,432,109	1,415,122
भारत सरकार से रिबनर का विकास	11,998,500	11,411,091
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	201,332,926	192,018,519
कुल नकद एवं नकद समतुल्य	**1,077,072,065**	**841,491,203**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी :

1. सामान्य सूचना

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के अंतर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), सीपीएसई की स्थापना भारत में कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 1971 में हुआ। प्रारंभ में भापनि ने छोटे व्यापार एजेंसी के रूप में अपना क्रिया-कलाप प्रारंभ किया किंतु इसके बाद धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उगाही क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अभी यह सफलतापूर्वक भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश) में फैला हुआ है। भापनि अपने 141 विभागीय क्रय केंद्र एवं 14 क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय लीड डीपीसीज के साथ-साथ कोलकाता में प्रधान कार्यालय के माध्यम से क्रिया-कलाप करता है।

भापनि जूट की खरीद करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलापों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है एवं वह कच्चे जूट के बाजार में स्थिरता लानेवाला एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भापनि के मूल्य समर्थन क्रिया-कलापों में एमएसपी पर कृषकों, सामान्यत: छोटे एवं उपांतिक (मार्जिनल) कृषकों से कच्चे जूट की खरीददारी करना शामिल है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना है और जब कच्चे जूट का चालू बाजार मूल्य एमएसपी स्तर पर पहुंच जाता है। ये क्रिया-कलापें अधिक आपूर्ति को रोकते हुए बाजार में कल्पित बफर को सृजित करने में मदद करते हैं ताकि कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी चंचलता रुक सके। यह जमीनी मूल्य भी प्रदान करता है जिसपर जूट कृषक अपने उत्पाद को बेच सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप (एमएसपी) के अलावा भापनि कच्चे जूट का वाणिज्यिक क्रिया-कलाप, विविध जूट उत्पादों में व्यापार एवं प्रमाणित जूट बीज का वितरण भी करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.1 लेखाकरण का आधार और वित्तीय विवरणियों की तैयारी

लेखा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखाकरण सिद्धांत, लागू लेखाकरण मानकों के साथ सभी सामग्री में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को निगम के सामान्य परिचालन परिधि एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में विस्थापित अन्य मानदंड के अनुसार चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत रिवाज के अंतर्गत एकीकृत के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने में अपनाये गये लेखाकरण नीतियां विगत वर्ष के समान हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूल्यह्रास:

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को मूल्यह्रास बाद कर अर्जन के लागत पर दिखाया गया है।

ii) लीजहोल्ड परिसर की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर एवं उसी भांति से सीधे तौर पर लीजहोल्ड परिसर के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) संबंधी मूल्यह्रास को दिखाया गया है।

iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अंतर्गत कंप्यूटर में अंतिम उपयोगकर्ता डिवाइस के रूप में मोबाइल फोन शामिल हैं।

2.3 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां और परिशोधन

i) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां जैसे कंप्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसाकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस 26) में परिभाषित किया गया है को परिशोधन बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।

ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 26 के अनुरूप उसके व्यवहारिक जीवन पर विचार करते हुए पांच वर्ष के लिए सीधे लाइन पर परिशोधित किया गया है।

2.4 वस्तुसूचियां

i) मूल्य समर्थन क्रिया-कलापों के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत इसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

ii) वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत उसके वजन का औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

iii) जूट से बनी वस्तुओं का कीमत उसकी लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

iv) जूट बीज का कीमत उसकी औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

v) लेखा में कच्चे जूट के स्टॉक की मात्रा को 180 किलोग्राम प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

2.5 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद जिसमें नकद हाथ में, बैंकों में जमा शेष राशि जो नकद राशि में परिवर्तनीय पढ़ा जाता है, सम्मिलित है और वह परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है।

2.6 नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकद प्रवाहों का रिपोर्ट किया जाता है जिसके द्वारा अपवादी एवं असाधारण मदों व कर से पहले नकद प्रवृति के लेन-देन के लिए लाभ को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नकद प्रवाह निगम के परिचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रिया-कलापों से अलग रहता है एवं लेखाकरण मानक 3 का अनुपालन किया जाता है।

2.7 कर्मचारियों को लाभ

i) ग्रेच्युटी

ए) नियमित कर्मचारीगण

निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्देशित ग्रुप ग्रेच्युटी निधि में नियमित अंशदान करता है एवं इस निधि से नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता दी जाती है।

बी) आकस्मिक कर्मचारीगण

निगम ने वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्तीय विवरण में आकस्मिक कर्मचारियों के ग्रेच्युटी हेतु देयता प्रदान करता है एवं निगम द्वारा आकस्मिक कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी देयताएं दी जाती है।

सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है जिसका अधिकतम सीमा 20 लाख रु. है। कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु 58 वर्ष है। भविष्य में होनेवाली वेतन वृद्धि को लेखा में दर्शाया जाता है जब देयता की गणना की जाती है। मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन में उचित ढंग से विचारा गया है। बीमांकिक मूल्यांकनों में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

ii) छुट्टी भुनाने का लाभ (अनिधिक)

निगम नियमित कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य के आधार पर सेवानिवृत होने पर वर्तमान कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ को वित्तीय विवरणी में अंतिम तिथि पर देयता प्रदान करता है।

वास्तविक मूल्य में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

iii) कर्मचारियों को भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि

भविष्यनिधि एवं पेंशन निधि के अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों ने सेवा दी है। भविष्यनिधि के अंशदान भारतीय पटसन निगम लि. के अंशदायी

भविष्यनिधि ट्रस्ट के पास जमा होता है। कर्मचारियों के भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा होता है।

iv) छुट्टी यात्रा रियायत

जब कभी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जाता है तब उसे लेखा में दर्शाया जाता है।

2.8 राजस्व अभिज्ञान:

वित्तीय विवरण तैयार करने में आय/व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष उस राशि की वसूली/भुगतान साधारणतया निश्चित मालूम पड़ता है और/या निपटाई जाती है। निम्निलिखित मामलों के लिए आय/व्यय की मान्यता वास्तविक वसूली/या निपटान पर दी गई है।

(ए) लिखित ऋणों पर ब्याज की आय यदि कुछ हो।

(बी) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज यदि कुछ हो।

(सी) बीमा कंपनियों एवं अन्य एजेंसियों के पास दर्ज की गई अस्थायी दावे यदि कुछ हो।

(डी) ढुलाई लागत यदि कुछ हो।

(ई) एमएसपी क्रिया-कलाप के लिए सरकार से आर्थिक सहायता को उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, यदि वह अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने से पहले प्राप्त होता है। यदि आर्थिक सहायता का सरकारी अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने के उपरांत प्राप्त होता है तब लेखा में उचित टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन प्राप्त होनेवाले वर्ष में दर्शाया जाता है।

(एफ) बाजार लेवी को लेखा में दर्शाया जाता है जब उसकी मांग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में नियमक बाजार समिति द्वारा उठाया जाता है।

2.9 वेतनमान का संशोधन करने के लिए देयता

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन/बढ़ोतरी करने के लिए देयता को उस वर्ष में ही मान्यता दी जाती है जिस वर्ष सरकार उसे अनुमोदित करता है तथा/या निगम को अधिसूचित करता है।

2.10 पूर्व अवधि का समायोजन

विगत वर्ष से संबंधित 10,000 रु. से अधिक का व्यक्तिगत लेन-देन को पूर्व अवधि का समायोजन लेखा के अंतर्गत दिखाया गया है।

2.11 चालू एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार योग्य लाभ पर विचार करने के उपरांत चालू कर के लिए प्रावधान बना है।

आस्थगित कर को वर्ष के कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने की वजह से समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है और संभवत: एक या उससे अधिक वार आगामी अवधि में उल्टा हो जता है (एएस 22 के अनुरूप)।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्ति को खराब के रूप में समझा गया जब परिसंपत्तियों को ढुलाई लागत उसकी वापसी योग्य कीमत से अधिक हो गया। हानि को वर्ष के लाभ-हानि खाता में दिखाया गया है जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रूप में चिह्नीत किया गया है। यदि वापसी योग्य कीमत का आकलन करने में परिवर्तन हुआ है तो लेखाकरण अवधि के पूर्व मान्यता दी गई हानि में उलट-फेर हुई है।

2.13 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां

विगत घटनाओं के फलस्वरूप जब वर्तमान दायित्व रहता है तब मापने में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधान को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि यह संसाधन से बाहर होगा। प्रासंगिक देयताओं को मान्यता दी गई है एवं उसे टिप्पणी में दिखाया गया है। प्रासंगिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणियों में दिखलाया गया है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

3(ए). शेयर पूंजी

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्राधिकृत		
100 रु. के प्रत्येक शेयर की 5,00,000 इक्वीटी शेयर	50,000,000	50,000,000
	50,000,000	**50,000,000**
जारी, अभिदत्त एवं चुकता		
100 रु. के प्रत्येक शेयर की संपूर्ण चुकता 5,00,000 इक्वीटी शेयर	50,000,000	50,000,000
	50,000,000	**50,000,000**

(ए) वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्वीटी शेयरों का समाधान

	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	-	-	-	-
बादः वर्ष के दौरान खरीदे गये शेयर	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	**500,000**	**50,000,000**	**500,000**	**50,000,000**

(बी) इक्वीटी शेयरों के साथ संलग्न नियम और अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी की इक्वीटी शेयर है जिसमें शेयर होल्डरों को शेयर के अनुरुप वोट देने का अधिकार है।

(सी) कंपनी में 5% शेयरों से अधिक रखने वाले शेयर होल्डरों का ब्यौरा

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	शेयर की सं.	होल्डिंग का %	शेयर की सं.	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	499998	99.99%	499998	99.99%

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

3(बी). आरक्षित एवं अधिशेष

ब्यौरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
अधिशेष				
विगत तुलन-पत्र के अनुसार	1,315,036,584		1,262,893,617	
योग : इस वर्ष का लाभ/(हानि)	153,955,238		115,992,698	
	1,468,991,822		1,378,886,315	
बाद : प्रदत्त लाभांश	34,800,000		53,050,000	
बाद : प्रस्तावित प्रदत्त लाभांश पर लाभांश वितरण कर	7,153,240		10,799,731	
		1,427,038,582		1,315,036,584
		-		
शुद्ध अधिशेष		**1,427,038,582**		**1,315,036,584**

4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परियोजना निधि में जमा शेष राशि		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	7,296,378	6,939,084
बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	117,305	117,305
आई जे एस जी	1,432,109	1,415,122
भारत सरकार से रिबनर का विकास	11,998,500	11,411,091
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	201,332,926	192,018,519
अन्यान्य गैर-प्रचलित देयताएं		
विविध लेनदार	467,250	2,031,418
बयाना राशि जमा	1,214,594	1,214,731
प्रतिभूति जमा	369,849	369,849
व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता	34,755,462	32,856,996
ग्राहकों से अग्रिम	6,213,163	5,005,510
जेटीएम से अग्रिम	1,027,011	1,027,011
पायलट प्रोजेक्ट्स खाता	47,748	47,748
प्रोजेक्ट डेकोर्टिकेटर मशीन	1,088,417	1,088,417
प्रोजेक्ट संतृप्ति	4,838,462	4,838,462
कुल	**272,199,174**	**260,381,263**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

5. दीर्घावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	34,151,722	62,050,556
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	92,459,732	99,194,764
कुल	**126,611,454**	**161,245,320**

6. अल्पावधि उधार

अन्य दीर्घावधि देयताएं	31.03.2020 को	31.03.2020 को
भारतीय सेंट्रल बैंक से नकदी ऋण	27,405	75,259
पंजाब नेशनल बैंक से नकदी ऋण	106	452,254
कुल	**27,511**	**527,513**

7. व्यापारिक देय

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
विविध लेनदार	54,059,685	35,853,058
	54,059,685	**35,853,058**

8. अन्य चालू देयताएं

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बयाना राशि जमा	15,977,601	64,823,521
प्रतिभूति राशि	1,568,069	160,151
प्रतिधारण राशि	5,838,025	9,074,289
भविष्य निधि देय	4,970,908	5,938,058
व्यय के लिए देयता एवं अन्य देय	128,985,329	224,982,446
परियोजना निधि में शेष राशि		
परियोजना आई-केयर	-	330,224
सामान्य सुविधा केंद्र	-	2,959,105
ग्राहकों से अग्रिम	7,042,646	37,527,621
देय दावे	5,624,763	8,611,233
	170,007,341	**354,406,648**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

9. अल्पावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान				
बोनस	1,150,000		1,159,000	
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	44,858,928		26,983,410	
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	18,103,236		6,204,426	
		64,112,164		**34,346,836**
आयकर के लिए प्रावधान				
विगत खाता के अनुसार शेष राशि	704,511,846			
वर्ष के दौरान योग	63,169,784			
	767,681,630			
बाद : अग्रिम कर प्रदत्त	763,038,092	**4,643,538**		
		68,755,702		**34,346,836**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

प्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	31.03.2019 को	योग	लोप/ समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2019 को	योग वर्ष के लिए	लोप/ समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पट्टे पर परिसर	25,998,440	-	-	25,998,440	5,322,130	(48,410.00)	-	5,273,720	20,724,720	20,676,310
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	4,589,952	44,250	-	4,634,202	4,309,521	12,729	-	4,322,250	311,952	280,431
कार्यालय का सामान	1,586,545	69,750	-	1,656,295	1,336,704	77,628	-	1,414,332	241,963	249,841
डीपीसी का सामान	1,722,307	-	-	1,722,307	848,108	35,734	-	883,842	838,465	874,199
कंप्यूटर	7,690,073	180,000	22,824.00	7,847,249	5,043,124	1,297,290	21,684	6,318,730	1,528,519	2,646,949
विद्युत संस्थापन	495,688	-	-	495,688	466,879	(213.00)	-	466,666	29,022	28,809
वातानुकूलित यंत्र	600,045	-	-	600,045	501,124	36,839	-	537,963	62,082	98,921
साइकिलें	132,357	-	-	132,357	132,357		-	132,357	-	-
कुल(ए)	**42,815,407**	**294,000**	**22,824**	**43,086,583**	**17,959,947**	**1,411,597**	**21,684**	**19,349,860**	**23,736,723**	**24,855,460**
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर(बी)	497,158	60,930	-	558,088	148,593	82,381	-	230,974	327,114	348,565
कुल(बी)	**497,158**	**60,930**	**-**	**558,088**	**148,593**	**82,381**	**-**	**230,974**	**327,114**	**348,565**
चालू वर्ष (ए+बी)	**43,312,565**	**354,930**	**22,824**	**43,644,671**	**18,108,540**	**1,493,978**	**21,684**	**19,580,834**	**24,063,837**	**25,204,025**
विगत वर्ष	39,991,620	3,509,404	188,459	**43,312,565**	16,637,619	1,604,707	133,786	**18,108,540**	**25,204,025**	

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

11. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रतिभूति जमा	24,566	27,245
	24,566	**27,245**

12. अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
अप्रचलित - व्यापारिक प्राप्य				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया	11,411,025		9,122,259	
(असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया)	478,510		665,669	
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	(478,510)	11,411,025	(665,669)	9,122,259
अन्य पार्टियों को अग्रिम				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया	4,171,016		3,531,736	
असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया	694,312		694,312	
बाद : रखे गये प्रावधान	(694,312)	4,171,016	(694,312)	3,531,736
		15,582,041		**12,653,995**

13. वस्तुसूची

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	72,728,889	260,001,715
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	67,892,526	173,248,126
जूट बीज	5,324,040	2,443,834
जूट विविध उत्पाद	2,777,005	767,489
	148,722,460	**436,461,164**

14. व्यापारिक प्राप्य

ब्यौरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
(असुरक्षित, खारा समझा गया)				
छः महीने से अधिक का बकाया ऋण	16,155,468		3,886,744	
अन्यान्य	147,715,230	163,870,698	185,715,379	189,602,123
		163,870,698		**189,602,123**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

15. नकद एवं नकद समतुल्य

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
नकद एवं नकद समतुल्य		
बैंक में जमा शेष राशि:		
चालू खाते में	206,905,811	75,500,659
बचत खाते में	70,535,676	10,548,376
सावधि जमा खाते में	1,019,693,739	966,680,211
हाथ में नकद	2,114,057	663,078
	1,299,249,283	**1,053,392,324**

16. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
नकद या इसी प्रकार में या प्राप्त होनेवाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम राशि				
स्टॉफ को अग्रिम		520,376		733,359
अन्य पार्टियों को अग्रिम				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया	-	2,394,868		3,302,783
प्रीपेड खर्चे		3,376,992		2,532,916
परियोजना आई-केयर		18,120,360		
अग्रिम आयकर	-		726,382,574	
बाद : आयकर के लिए प्रावधान				
विगत लेखानुसार जमा शेष राशि	-		(611,867,939)	
वर्ष के दौरान योग	-		(92,643,907)	
	-	-	(704,511,846)	21,870,728
		24,412,596		**28,439,786**

17. अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं	2,856,080	822,643
भारत सरकार से प्राप्ति योग्य आर्थिक सहायता	459,900,000	425,000,000
प्राप्ति योग्य बीमा दावे	30,017,888	40,193,917
	492,773,968	**466,016,560**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

18. परिचालन से राजस्व

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
विक्रय - मूल्य समर्थन	854,820,393	1,560,964,652
विक्रय - वाणिज्यिक	362,485,392	252,646,616
विक्रय - जूट विविध उत्पाद	22,881,768	5,107,289
विक्रय - जूट बीज	39,253,522	32,250,722
बाद : दावे का भुगतान किया गया	(758,009)	(7,585,713)
कुल	1,278,683,066	1,843,383,566
18.1 अन्य परिचालन वाले राजस्व		
भारत सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	413,900,000	500,000,000
कुल	**1,692,583,066**	**2,343,383,566**

19. अन्य आय

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
ब्याज आय	54,062,862	29,038,360
ढुलाई लागत (मूल्य समर्थन)	3,683,495	43,480,303
देयता को अब लिखने की आवश्यकता नहीं	-	19,609,135
बीमा दावे	1,139,921	41,219,582
अन्य आय	3,496,853	579,205
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	5,784,626	4,950,088
पूर्व अवधि का समायोजन (टिप्पणी-19.1 देखें)	-	1,865,986
कुल	**68,167,757**	**140,742,659**

19.1. पूर्व अवधि का समायोजन

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	-	1,865,986
शुद्ध नामें(-)/जमा	**-**	**1,865,986**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

20. व्यापारिक वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष खर्चों का लागत

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
क्रय		
कच्च जूट - मूल्य समर्थन	562,409,090	667,885,653
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	136,389,807	-
विविध जूट उत्पाद	22,220,802	4,667,925
जूट बीज	43,446,600	25,943,060
उप योग (ए)	**764,466,299**	**698,496,638**
प्रत्यक्ष खर्चे		
परिचालन खर्चे	24,099,485	32,423,565
कर एवं लेवी	6,049,634	4,604,082
उप योग (बी)	**30,149,119**	**37,027,647**
कुल	**794,615,418**	**735,524,285**

21. व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रारंभिक स्टॉक	-	
कच्च जूट - मूल्य समर्थन	260,001,715	1,042,527,694
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	173,248,126	347,194,645
जूट बीज	2,443,834	8,753,471
विविध जूट उत्पाद	767,489	410,985
कुल	**436,461,164**	**1,398,886,795**
अंतिम स्टॉक		-
कच्च जूट - मूल्य समर्थन	72,728,889	260,001,715
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	67,892,526	173,248,126
जूट बीज	5,324,040	2,443,834
विविध जूट उत्पाद	2,777,005	767,489
कुल	**148,722,460**	**436,461,164**
शुद्ध (वृद्धि)/कमी	**287,738,704**	**962,425,631**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

22. कर्मचारी हित खर्चे

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वेतन एवं भत्ते	178,731,959	211,963,036
मजदूरी	67,202,124	69,409,395
निदेशकों का पारिश्रमिक	3,362,348	3,740,055
बोनस	535,956	1,234,782
किराया आवासीय	128,600	-
पेंशन निधि में निगम का अंशदान	4,498,164	5,948,513
ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान	14,693,299	55,699,165
भविष्य निधि में निगम का अंशदान	16,664,566	16,440,110
ईएसआई में निगम का अंशदान	151,812	-
स्टाफ कल्याण खर्चे	4,916,480	5,770,116
सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने का लाभ	41,336,798	50,888,804
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	8,134,763	7,748,882
सीपीएफ का प्रशासनिक प्रभार	304,914	337,867
अवकाश यात्रा व्यय	370,228	660,243
कुल	**341,032,011**	**429,840,968**

23. वित्तीय लागत

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
नकद ऋण पर ब्याज	711,275	11,080,706
कुल	**711,275**	**11,080,706**

24. मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
मूल्यह्रास	1,493,978	1,604,707
कुल	**1,493,978**	**1,604,707**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

25. अन्य खर्चे

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
छपाई एवं लेखन सामग्री	1,562,885	1,276,526
विद्युत प्रभार	1,852,292	1,828,034
भाड़ा	2,345,316	2,072,666
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	13,770,331	17,501,299
मरम्मत एवं नवीनीकरण	5,096,266	1,831,683
कार्यालय का रख-रखाव खर्चे	632,604	216,403
महसूल एवं कर	34,370	58,695
बीमा	3,452,374	3,063,221
यात्रा एवं यातायात	7,388,842	7,264,410
विधि एवं पेशेवर शुल्क	1,127,969	1,629,732
भाड़ा	38,551,075	64,478,504
जीएसटी एवं सेवा कर	87,529	208,598
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	271,400	271,400
अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	135,220	295,031
दूरभाष प्रभार	646,102	837,585
डाक एवं तार	160,662	101,439
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	124,890	160,561
मनोरंजन	166,568	390,568
सम्मेलन एवं बैठक खर्चे	538,688	1,063,611
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चे	5,318,000	3,496,011
विज्ञापन एवं प्रचार	909,651	1,839,520
कार खर्चे	3,604,680	5,000,005
अनुसंधान एवं विकास	400,000	-
बैंक प्रभार	232,627	165,065
मेला एवं प्रदर्शनी	-	702,574
वैट एवं विक्रय कर के नामें जमा शेष राशि लिखित	-	498,763
बीमा दावे	10,890,024	
कुल	**99,300,365**	**116,251,904**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

26. विविध खर्चे

ब्यौरा	31.03.2020 को	31.03.2019 को
मानदेय एवं अन्य शुल्क	192,000	393,680
क्षे.का. खर्चे एवं प्र.का. खर्चे	14,781,208	13,677,891
सुरक्षा गार्ड खर्चे	7,982,626	8,187,846
कुल	**22,955,834**	**22,259,417**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखा की टिप्पणियां

27. कर्मचारियों को सेवानिवृत लाभ से संबंधित प्रकटीकरण

I. ग्रेच्युटी (नियमित)

एलआईसीआई द्वारा की गई मांग के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 2,04,51,932 रु. (विगत वर्ष 5,60,191 रु.) का भुगतान किया है।

ii. ग्रेच्युटी (आकस्मिक)

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आकस्मिक कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 5,22,54,958 रु. (विगत वर्ष 6,82,54,982 रु.) प्रदान किया है। वास्तविक अंगीकार का आधार निम्न प्रकार हैं:

मूल्यांकन करने का आधार

	31.03.2020	31.03.2019
छूट की दर प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि)	5.00%	6.70%
वेतन में वृद्धि दर	14.00%	14.00%
कर्मचारियों का कार्य जीवन अनुमानित औसतन रहेगा	2.20 वर्ष	2.61 वर्ष

iii. छुट्टी भुनाने का लाभ

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर्मचारियों के लिए उनकी छुट्टी भुनाने की देयता राशि 13,73,18,660 रु. (विगत वर्ष 12,61,78,174 रु. प्रदान किया है।

28. प्रासंगिक देयताएं

प्रासंगिक देयताओं (महत्वपूर्ण देयताओं को छोड़कर, यदि उसपर कुछ हो तो) को लेखा में नहीं दर्शाया गया है:

क्र.सं.		31.03.2020	31.03.2019
		रु.	रु.
1.	निगम के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	16,31,40,273	15,56,40,716
2.	अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है।	10,92,21,160	12,07,44,491

अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है, में कंपनी द्वारा विवादित आयकर की मांग की कुल राशि 1092.21 लाख रु. (विगत वर्ष 1207.44 लाख रु.) शामिल है। यह मामला निर्धारण अधिकारी/ सीआईटी(ए)/आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष सुधार करने/अपील के अधीन है एवं कंपनी अपने पक्ष में अपील का फैसला सुनने के लिए आशान्वित है।

29. सीएसआर खर्चे

कंपनी ने वर्ष के दौरान 53,18,000 रु. (विगत वर्ष 34,96,011 रु.) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए खर्च किया है जो कंपनी के सीएसआर की नीति के अनुरूप है और उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर खर्चे - 33,59,000/- रु.
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर खर्चे - 19,59,000/- रु.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 40.59 लाख रु. का कुल सीएसआर बजट (विगत वर्ष 39.10 लाख रु.) है जिसमें से अव्ययित राशि 7.00 लाख रु. (वित्तीय वर्ष 2018-19 का अव्ययित राशि 19.59 लाख रु. को वित्तीय वर्ष 2019-20 में खर्च की गई है) को वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च करने की योजना बनाई गई है।

30 माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006: माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था से संबंधित प्रकटन करने की जरूरत है। तथापि किसानों/कृषकों से खरीदे जा रहे जूट को ध्यान में रखते हुए जिसका भुगतान तुरंत ही ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण के माध्यम से निपटाया जाता है, उसे खाते में अलग से प्रकटन नहीं किया गया है।

31. परियोजनाओं से संबंधित प्रकटन

जूट प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु:

		(31 मार्च, 2020 तक)			(रु. में)
	अनुदान का नाम	प्राप्त	अर्जित	संवितरण	बकाया
(ए)	जूट की गुणवत्ता में सुधार (रेटिंग टेक्नोलॉजी)	40,00,000	58,21,069	25,24,691	72,96,378
		(40,00,000)	(53,16,986)	(23,77,902)	69,39,084)
(बी)	मैनुअल/पावर ड्राइवन रिबनर मशीन का विकास	34,00,000	98,41,465	12,42,965	1,19,98,500
		(34,00,000)	(90,12,727)	(10,01,636)	(1,14,11,091)
(सी)	बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग	9,00,000	-	7,82,695	1,17,305
		(9,00,000)	-	(7,82,695)	(1,17,305)
(डी)	जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	60,05,00,000	17,18,97,869	57,10,64,943	20,13,32,926
		(60,05,00,000)	(15,87,56,775)	(56,72,38,256)	(19,20,18,519)

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा हुआ है।

32. अवरूद्ध चेक

लाभार्थियों के साथ लंबित विवाद के कारण अवरूद्ध चेक शीर्षक के अंतर्गत 7,49,324 रु. (विगत वर्ष 8,27,036 रु.) रखा जा रहा है।

33. निदेशकों का परिश्रमिक नीचे समाविष्ट किया गया है जो लेखा से संबंधित शीर्षक के नामें हैं:

		31.03.2020	31.03.2019
		(रु.)	(रु.)
ए.	वेतन	32,42,348	36,80,055
बी.	छुट्टी भुनाने का	-	27,43,903
सी.	भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान	3,32,042	3,48,193
डी.	भाड़ा आवासीय	1,28,600	-
ई.	अन्यान्य	3,08,883	9,86,142
एफ.	क्लब खर्चे एवं विविध	-	38,959
जी.	बैठक शुल्क	1,20,000	60,000
	कुल	**41,31,873**	**78,57,252**

34. निगम के प्रति शेयर उपार्जन को निम्न प्रकार से परिकलित किया गया है:

	31.03.2020	31.03.2019
	(रु.)	(रु.)
इस वर्ष का लाभ/(हानि)	15,39,55,238	11,59,92,698
इक्वीटी शेयर की सं. का औसतन वजन	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर उपार्जन (मूल और मिश्रित)	308	232

35. आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) - डीटीए की समीक्षा को विगत वर्ष से चालू वर्ष में डीटीए की मान्यता के साथ लाया गया है।

लेखाकरण मानक-22 (एएस 22) में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर डीटीए की वहन राशि की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है। यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि डीटीए को मान्यता दिया जाएगा और आगे लाया जाएगा, यदि पर्याप्त कर योग्य आय सही रूप में उचित हो जिसके विरूद्ध ऐसे डीटीए को वसूला जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप का संचालन करना है और यह कच्चे जूट के बाजार मूल्य की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यहां तक कि यदि एमएसपी क्रिया-कलाप होता है तो भी यह निश्चित नहीं है कि निगम एक सकारात्मक मार्जिन के साथ एमएसपी में शामिल लागत को वसूल करने में सक्ष्म होगा क्योंकि वह समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी निर्णय/नीति पर पूरी तरह निर्भर है। यद्यपि भारत सरकार सामान्य रूप से एमएसपी की कुछ लागत को पूरा करने के लिए निगम को प्रीफिक्सड वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रदान करता है लेकिन यह दोनों बुनियादी ढांचे की लागत एवं जूट की खरीद एवं संबंधित गतिविधियों की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों के लिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से ऐसे वार्षिक आर्थिक समर्थन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में यह सठीक रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होने का कोई उचित कारण नहीं है जो किसी भी पहले का और मान्यता प्राप्त डीटीए वसूला जा सके।

36. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन निम्न प्रकार हैं:

ब्यौरा	संबंधित पार्टी का नाम
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. श्री अजय कुमार जॉली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	2. श्री अभिक साहा, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक):

			राशि रु. में
लेन-देन की प्रवृत्ति	**संबंध**	**2019-20**	**2018-19**
वेतन (मकान किराया सहित)			
श्री अजय कुमार जॉली	सीएमडी (01.02.2019 से)	35,74,390	6,34,270
डा. के.वी.आर. मूर्ति	सीएमडी (31.01.2019 तक)	-	26,96,193
सीए पी. दासगुप्ता	निदेशक(वित्त) (05.07.2018 तक)	-	6,97,785
श्री अभिक साहा	कंपनी सचिव	13,56,098	11,06,351

37. व्यापार की गई सामानों से संबंधित सूचना

		2019-2020			**2018-2019**		
	ब्यौरा	**गांठ**	**क्विं.**	**रु.**	**गांठ**	**क्विं.**	**रु.**
(ए)	**क्रय**						
	कच्चा जूट	100357	180711	69,87,98,897	108519	195335	66,78,85,653
	जूट बीज		6034.25	4,34,46,600		4989.05	2,59,43,060
	विविध जूट उत्पाद			2,22,20,802			46,67,925
		100357	**186745.25**	**76,44,66,299**	**108519**	**200324.05**	**69,84,96,638**
(बी)	**विक्रय**						
	कच्चा जूट	155377	279679	121,65,47,776	257005	462608	180,60,25,555
	जूट बीज		5512.17	3,92,53,522		5714.88	3,22,50,722
	विविध जूट उत्पाद			2,28,81,768			51,07,289
		155377	**285191.17**	**127,86,83,066**	**257005**	**468322.88**	**184,33,83,566**
(सी)	**प्रारंभिक स्टॉक**						
	कच्चा जूट	75645	136093	43,32,49,841	224131	403366	138,97,22,339
	जूट बीज		383.89	24,43,834		1109.72	87,53,471
	विविध जूट उत्पाद			7,67,489			4,10,985
		75645	**136476.89**	**43,64,61,164**	**224131**	**404475.72**	**139,88,86,795**
(डी)	**अंतिम स्टॉक**						
	कच्चा जूट	20625	37125	14,06,21,415	75645	136093	43,32,49,841
	जूट बीज		739.45	53,24,040		383.89	24,43,834
	विविध जूट उत्पाद			27,77,005			7,67,489
		20625	**37864.45**	**14,87,22,460**	**75645**	**136476.89**	**43,64,61,164**
(ई)	**प्राप्त दावे**						
	जूट बीज	0	166.52	13,13,510	0	0	0
(एफ)	**कच्चे जूट के वजन में (कमी)/वृद्धि**	1216	2189	0	1657	2982	0

लेखा में स्टॉक की मात्रा को 180 कि.ग्रा. प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

38. अन्य पार्टियों को अग्रिम में पार्टियों से प्राप्य 12,85,286 रु. को शामिल किया गया है जिसका साफ्टवेयर की त्रुटि की वजह से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक/त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ है। अभी 1,51,264 रु. की वसूली हुई है एवं 30.06.2020 तक 11,34,022 रु. बकाया है।

39. रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लाभांश को मान्यता नहीं दी गई है:

भारत सरकार के निदेशानुसार निदेशकगण ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को 92.40 रु. (विगत वर्ष 69.60 रु.) प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भुगतान करने की संस्तुति पर विचार किया है। लाभांश के रूप में कुल जानेवाली राशि 4,62,00,000 रु. (विगत वर्ष 3,48,00,000 रु.) होगा। आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्य का अनुमोदन प्राप्त होने पर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

40. वित्तीय वर्ष 2018-19 में असम के गोलापाड़ा डीपीसी में आग लग गया जिससे 4,01,93,917 रु. के वाणिज्यिक वाले कच्चे जूट का स्टॉक नष्ट हो गया। तदनुसार संपूर्ण हानि के दावे को बीमा कंपनी के पास विधिवत् दर्ज किया गया है। बीमा कंपनी ने दावे के लिए 2,93,03,893 रु. स्वीकार किया है एवं उसे बही-खाते में विधिवत् दर्शाया गया है।

41. वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के भागीरथपुर डीपीसी में आग लग गया जिससे 53,79,814 रु. के एमएसपी वाले कच्चे जूट का स्टॉक नष्ट हो गया। संपूर्ण क्षतिग्रस्त स्टॉक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। तदनुसार संपूर्ण हानि के दावे को बीमा कंपनी के पास विधिवत् दर्ज किया गया है। दावे का निपटारण अभी तक लंबित है।

42. जहां भी जरूरत पड़ा है वहां विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।

43. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के आवश्यकतानुसार दी जानेवाली अपेक्षित अन्य सूचना को शून्य पढ़ा जाए।

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एच.एस. भट्टाचार्जी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 322303ई
(अरुपरतन राय)
साझेदार
(सदस्यता सं. 057516)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12.10.2020

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अजय कुमार जॉली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08427305

अन्तर्देशीय कच्चा जूट-मूल्य समर्थन

	2019-2020		2018-2019	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	105,838	854,288,101	214,813	1,554,435,673
ढुलाई खर्च		3,683,495		43,480,303
अन्तर्देशीय कच्चा जूट वाणिज्यिक में स्थानांतरण	11,803	59,614,448	8,464	54,786,413
देयता अब बट्टे खाते में आवश्यक नहीं		-		19,609,135
ब्याज आय		53,980,686		28,960,795
बीमा दावे		1,139,921		1,025,665
विविध आय		3,496,853		564,766
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)		-		3,337,552
सरकार से आर्थिक सहायता		413,900,000		500,000,000
पूर्व अवधि का समायोजन		-		1,865,986
शुद्ध समायोजन नामें/जमा की शेष राशि बट्टे खाते/वापस				
वजन में कमी				
अंतिम स्टॉक	11,740	72,728,889	46,303	260,001,715
शुद्ध हानि				
	129,381	**1,462,832,393**	**269,580**	**2,468,068,003**

अन्तर्देशीय कच्चा जूट-मूल्य समर्थन

	2019-2020		2018-2019	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	46,303	260,001,715	161,061	1,042,527,694
क्रय	82,121	562,409,090	106,862	667,885,653
अन्तर्देशीय कच्चा जूट-वाणिज्यिक से स्थानांतरण	-	-	-	-
कर एवं लेवी		4,888,041		4,604,082
भाड़ा		26,956,950		53,988,343
परिचालन खर्चे		18,800,621		27,081,341
कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान		341,032,011		429,840,968
अन्य प्रशासनिक खर्चे		66,287,588		53,138,089
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार		711,275		11,080,706
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण		13,770,331		17,501,299
बीमा		2,001,687		2,636,495
मूल्यह्रास		1,493,978		1,604,707
सेवा कर एवं जीएसटी		87,529		208,598
सेवा प्रभार		-		-
पूर्व अवधि का समायोजन		-		-
महसूल एवं कर				
वजन में वृद्धि	957	-	1,657	-
आयकर के लिए प्रावधान		-		67,779,000
शुद्ध लाभ		164,391,577		88,191,028
	129,381	**1,462,832,393**	**269,580**	**2,468,068,003**

अन्तर्देशीय कच्चा जूट-वाणिज्यिक

	2019-2020		2018-2019	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	49,539	362,259,675	35,983	251,589,882
प्राप्त दावे-स्टॉक			6,209	40,193,917
अन्तर्देशीय कच्चा जूट मूल्य समर्थन में स्थानांतरण	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-
सेवा प्रभार	-	-	-	-
वजन में हानि	-	-	-	-
अंतिम स्टॉक	8,885	67,892,526	29,342	173,248,126
शुद्ध हानि				
	58,424	**430,152,201**	**71,534**	**465,031,925**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	29,342	173,248,126	63,070	347,194,645
क्रय	17,020	136,389,807	-	-
अन्तर्देशीय कच्चा जूट मूल्य समर्थन से स्थानांतरण	11,803	59,614,448	8,464	54,786,413
कर एवं लेवी		1,161,593		-
भाड़ा		11,320,623		10,421,515
परिचालन खर्चे		4,383,699		5,235,295
ब्याज		-		-
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण		-		-
बीमा		1,450,687		426,726
असाधारण मदें		-		-
वजन में वृद्धि	259	-		-
आयकर का प्रावधान		-		20,410,325
शुद्ध लाभ		42,583,218		26,557,007
	58,424	**430,152,201**	**71,534**	**465,031,925**

जूट बीज

	2019-2020		2018-2019	
	क्विं.	रु.	क्विं.	रु.
आय				
विक्रय	5,512.17	39,253,522	5,714.88	32,250,722
प्राप्त दावे	166.52	1,313,510		
सेवा प्रभार		4,471,116		1,612,536
अंतिम स्टॉक	739.45	5,324,040	383.89	2,443,834
	6,418.14	**50,362,188**	**6,098.77**	**36,307,092**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	383.89	2,443,834	1,109.72	8,753,471
क्रय	6,034.25	43,446,600	4,989.05	25,943,060
जूट बीज की हैंडलिंग		80.00		14,648
आयकर का प्रावधान		-		692,658
शुद्ध लाभ		4,471,674		901,255
	6,418.14	**50,362,188**	**6,098.77**	**36,307,092**

विविध जूट उत्पाद

	2019-2020	2018-2019
	रु.	रु.
आय		
विक्रय	22,881,768	5,107,289
विविध की प्राप्ति	0	14,439.00
ब्याज	82,176	77,565
अंतिम स्टॉक	2,777,005	767,489
शुद्ध हानि		
	25,740,949	**5,966,782**
व्यय		
क्रय	22,220,802	4,667,925
प्रारंभिक स्टॉक	767,489	410,985
परिचालन खर्चे	915,085	-
भाड़ा	273,502	66,646
अन्य खर्चे	44,929	111,462
बैंक प्रभार	7,749	8,366
छपाई एवं लेखन सामग्री	-	2,922
दूरभाष प्रभार	-	0
भ्रमण और यातायात	-	408
भाड़ा एवं रख-रखाव	54,624	90,734
आयकर के लिए प्रावधान	-	263,926
शुद्ध लाभ	1,456,769	343,408
	25,740,949	**5,966,782**